छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा

षोडश सत्र

शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च, 2023

(फाल्गुन 12, शक सम्वत् 1944)

[अंक 03]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च, 2023

(फाल्गुन 12, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री शैलेश पांडे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष जी कल से नाराज हैं, इसलिए वह प्रश्नकाल में नहीं आ रहे हैं और कोई मंत्री जाकर यह भी नहीं बोल रहे हैं कि आप प्रश्नकाल में बैठते थे तो क्यों नहीं बैठ रहे हैं ?

<u>जन्मदिन की बधाई</u>

<u>श्री यू.डी.मिंज, संसदीय सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से संबद्ध</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य श्री यू.डी. मिंज जी का आज जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं उनके स्वस्थ, सुखी, सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- चलिये, आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको बहुत-बहुत बधाई। माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रश्नकाल में उपाध्यक्ष का आना पहली बार हुआ है। आपको बधाई।

उपाध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपका परफारमेंस कल भी ठीक था, पर जरूरत से ज्यादा इधर दबाया मत करिये, उधर दबाया करिये।

श्री कुलदीप जुनेजा :- यू.डी. मिंज जी आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह हमेशा स्वस्थ रहें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय किन कारणों से नहीं आ रहे हैं, उसकी भी जांच करवानी चाहिए। इस बात से सदन चिंतित है कि अध्यक्ष महोदय प्रश्नकाल में क्यों नहीं आ रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, शैलेश पांडे जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, लगातार दूसरा दिन है कि प्रश्नकाल में माननीय अध्यक्ष जी आसंदी में नहीं आ रहे हैं। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने जांच करने के लिए कहा। सदन को अवगत करा दीजिए कि वह क्यों नहीं आ पा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं भी सदन की ओर से ई.डी. मिंज जी को बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा :- ई.डी को ना ? (हंसी)

श्री सौरभ सिंह :- ई.डी. को बधाई दे रहे हैं न ? (हंसी) आप कार्यवाही के लिए ई.डी. को बधाई दे रहे हैं। आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री शैलेश पांडे जी।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल की स्थापना

[चिकित्सा शिक्षा]

1. (*क्र. 61) श्री शैलेश पांडे : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल की स्थापना कराने के लिए राज्य शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल की स्थापना कराने के लिए राज्य शासन द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 4.1.2023 को माननीय मंत्री, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को लिखा गया है।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत जच रहे हैं। आपका संरक्षण चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- इसलिए आपको उधर मेरी वाली जगह भी मिली है।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज का जो पहला प्रश्न है, पूरे पंचम विधानसभा में पहली बार अवसर मिला है कि मेरा पहली बार प्रथम प्रश्न आया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- और वह भी अपने नेता से, मुख्यमंत्री से नहीं।

श्री कवासी लखमा :- कोई भी आदमी अपने आदमी से सीखेगा, आपसे थोड़ी सीखेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, कांग्रेस के अधिवेशन में पास हो गया है कि जो कोई भी प्रकार का नशा करता है, वह कांग्रेसी नहीं रहेगा। (हंसी)

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत ही जनहित, लोकहित का है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही एम्स हॉस्पिटल है और बहुत तकलीफें होती हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से रायपुर में मरीजों को भेजना पड़ता है। एम्स हॉस्पिटल की आवश्यकता बिलासपुर में भी है। बिलासपुर के साथ-साथ, सरगुजा संभाग भी है, लगभग डेढ़ करोड़ के आसपास आबादी बिलासपुर और सरगुजा दोनों संभागों मे है। माननीय मंत्री जी ने केन्द्र सरकार को 4.1.2023 को चिट्ठी लिखी थी जिसका पुनरीक्षित उत्तर उन्होंने कल मुझे दे दिया है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक हमारे मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बिलासपुर संभाग के हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, धर्मजीत भैया भी बिलासपुर संभाग के हैं। हमारे और भी साथी दोनों संभाग से हैं। हमारे दो-दो मंत्री भी उस संभाग से हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी आज इस सदन में यह घोषणा जरूर करें कि हमारे प्रदेश में जब भी एम्स हॉस्पिटल खुले तो वह बिलासपुर में ही खुले। यही मेरा प्रश्न भी है और यही मेरा निवेदन भी है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक जी प्रश्न किये हैं और आप ऐसा जवाब मत देंगे कि विधायक जी को निराशा हाथ लगें। हम सब लोग उस संभाग से हैं। उन्होंने उल्लेख भी किया है। एक ही बार में जवाब दे देंगे तो हम लोग मेज थपथपाकर आपका स्वागत कर देंगे। जब भी यहां पर एम्स हॉस्पिटल खुले तो बिलासपुर में खुलेगा, ऐसा आप बोल देंगे, हम इतना ही चाहते हैं। कब खुलेगा, तारीख को छोड़ दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इसमें आप सबकी बातों का इकट्ठा जवाब दे दीजियेगा। बिलासपुर में एम्स खुलना चाहिए, इस बात के लिए आप भी सहमत हैं। मैंने आपका बयान पढ़ा है। शायद आप उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- वह तो ताजमहल बनवा देंगे, लेकिन उनका कुछ चले तब तो बनवायेंगे। वह तो ताजमहल बनवा देंगे, लेकिन आप सहमत हैं, आप जानते हैं कि उनकी चल रही है?

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, नहीं चल रही है।

श्री कवासी लखमा :- दिल्ली में आपका चलता है क्या? दिल्ली में आपको कोई पूछते हैं क्या?

श्री शिवरतन शर्मा :- धर्मजीत भैया, कहां चल रही है, यह तो बता दीजिये?

श्री धर्मजीत सिंह :- वह दिल्ली में ही चल रही है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- प्रश्नकाल में [xx][1] आप लोग कहां से आ गये?

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, हमारे बिलासपुर का मामला है। हम लोग काहे का [xx] हैं। [xx] भी हमारा है, बिलासपुर भी हमारा है और उसके लिए हम बात करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- कल हमारे स्थगन में आप मुख्य वक्ता थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम बिलासपुर के हितों की रक्षा की बात करने के लिए ही इस सदन में हैं और बिलासपुर संभाग में आप भी आते हैं। बिलासपुर संभाग के ज्यादा नेतृत्व करने वाले रायपुर की पैरवी ज्यादा मत करिये। हम लोगों को बोलने दीजिये।

श्री कवासी लखमा :- वह संरगुजा संभाग में आते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- कुछ नहीं, वह सब पुराना बिलासपुर है। बिलासपुर, सरगुजा सब एक है।

श्री सौरभ सिंह :- रस्ता तो उधर से ही आता है। एक वहां बन जाएगा तो आपके नजदीक हो जाएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जवाब में आपने दो लाईन में लिख दिया है कि सरकार के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- संशोधित उत्तर आया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- चलिये, जो भी उत्तर आया है, उसको आप पढ़िये। संशोधित उत्तर में ही तो आधा परेशानी हो जाती है। हम लोग तो यहां उत्तर पढ़कर आते हैं। संशोधित उत्तर पता नहीं कब खाने में पड़ा रहता है। वहां संशोधित उत्तर पढ़ने को किसके पास समय है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप सदन में इस बात की घोषणा करेंगे कि इसी विधान सभा सत्र में बिलासपुर में एम्स प्रारंभ करने के लिए एक शासकीय संकल्प पास करके आप दिल्ली की सरकार को भेजेंगे? इसका भी आप जरूर जवाब दीजियेगा। आप एक शासकीय संकल्प पेश कर दीजिये ताकि बिलासपुर के हितों की रक्षा हो।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य शैलेश पांडे ने जो बात कही है। वास्तव में पूरे बिलासपुर संभाग में चिकित्सा क्षेत्र का अभाव है और जो अविभाजित बिलासपुर संभाग है, उसमें आपका सरगुजा भी आता है। बहुत बड़ा भू-भाग है, लेकिन अच्छी चिकित्सा का अभाव है। उनको ईलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। विशाखापट्टनम जाना पड़ता है, नागपुर जाना पड़ता है, इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि जब भी एम्स हॉस्पिटल खुले और हमको अभी से उसका प्रयास करना चाहिए, हमको भारत सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए, विधिवत प्रस्ताव भेजना चाहिए। वहां एम्स

[1] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

हॉस्पिटल की आवश्यकता है। तो एम्स हॉस्पिटल खुले तो बिलासपुर में खुले। यह आपके जवाब में आना चाहिए, यह मेरा आग्रह है।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, बड़ा ऐतिहासिक पल है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और यहां भी कांगेस की सरकार थी, तब एम्स हॉस्पिटल खुला है।

श्री शैलेश पांडे :- अध्यक्ष जी भी बिलासपुर संभाग के हैं और बिलासपुर से बहुत प्यार करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी बिलासपुर से बहुत प्यार करते हैं और आप जानते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। मैं बड़ी ही विनम्रता से मंत्री जी से ..।

श्री अजय चंद्राकर :- बिलासपुर में क्या हो रहा है? आप बिलासपुर-बिलासपुर कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये। मंत्री जी, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ही विषय है।

श्री शैलेश पांडे :- हमें बिलासपुर को खोदापुर से ऊपर उठाते हुए बिलासपुर बनाना है तो इसलिए हमको जरूरी है कि बिलासपुर में ऐसी चीजें खोलें और मैं चाहूंगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात की आज घोषणा करें।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले संशोधित जवाब को भी पढ़ देता हूं। कई सदस्यों को शायद जानकारी न हुई हो। बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल की स्थापना करने के लिए राज्य शासन द्वारा अर्ध शासकीय पत्र, दिनांक 04.01.2023 को माननीय मंत्री, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को लिखा गया है। यह संशोधित जवाब है। हम सब जानते हैं कि एम्स की स्थापना एक बड़ा कठिन निर्णय होता है, बहुत बड़ा निर्णय होता है और देश भर में हर राज्य में भी एम्स हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और अभी भी कुछ राज्य होंगे, जिसमें एम्स हॉस्पिटल नहीं है। हाल ही में एक मीडिया कवरेज आया था कि केन्द्र की सरकार इस बात पर विचार कर ही है कि एक राज्य में तुलनात्मक छोटा नहीं, कम से कम दो एम्स हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। इस बात को लेकर मैं जब बिलासपुर गया था तो माननीय विधायक शैलेश पांडे जी और कुछ साथियों ने इस बात को उठाया था कि एम्स की बात चल रही है तो क्या आप यहां के लिये पहल करेंगे ? मुख्यमंत्री जी भी इस बात से अवगत हैं, मैंने उनसे भी परामर्श किया है, मैंने उनसे भी सलाह ली है क्योंकि अंतत: यह राज्य स्तर का मामला है, उनका निर्णय अनिवार्य भी है और इस बात को देखते हुए कि यदि भविष्य में दूसरे एम्स की स्थापना होती है तो उसको कहां खोलना चाहिए । न केवल इसलिए कि हम लोग बिलासपुर गये थे और बिलासपुर की मांग आयी । छत्तीसगढ़ में पहला विकल्प दूसरे एम्स का कहां होना चाहिए ? हमारे पांच संभाग हैं दुर्ग और रायपुर । रायपुर का जो एम्स है, हम एक तरह से यह मान सकते हैं कि इससे नजदीक से कवरेज मिल रहा है, 3 और संभाग बचते हैं । सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन विधायक की संख्या में सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर । जहां 24 विधायक हैं, सरगुजा जहां 14 विधायक हैं और बस्तर

जहां 12 विधायक हैं । दूसरा एम्स आना है तो भौगोलिक स्थिति से एग्जाई विकल्प क्या था बस्तर या बिलासपुर ? सरगुजा-बिलासपुर मिलाकर कहां हमको करना चाहिए तो जनसंख्या को भी आधार मानते हुए 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़, 1 लाख के आसपास की जनसंख्या बिलासपुर और सरगुजा संभाग को मिलाकर बन रही थी तो मांग के आधार पर भी और औचित्य के आधार पर भी और यह देखते हुए कि रायपुर में आये दिन हम लोगों के पास यह जानकारी आती है कि एम्स में दाखिला हो जाता, एम्स में दाखिला हो जाता । वहां पर बिस्तरों की कमी हो रही है । बहुत सारे लोग विभिन्न राज्यों से भी उड़ीसा से भी, झारखंड से भी, बिहार से भी, मध्यप्रदेश से भी, महाराष्ट्र से भी बहुत लोग रायपुर के एम्स में आते हैं, वहां बिस्तरों की कमी हो रही थी । यदि दूसरा एम्स स्थापित होना है तो मुझे भी यह लगा कि बिलासपुर के साथियों ने जो पहल की है, शैलेश जी ने भी जिस बात के लिये सर्वप्रथम मुझे पहल करके बताया था । मैंने केंद्रीय मंत्री जी को यह पत्र लिखा क्योंकि वहां से अभी तक न तो केंद्र के बजट में कोई प्रावधान है और न ही किसी प्रकार की औपचारिक घोषणाएं या पत्राचार राज्य सरकार से हुआ है । केवल उस आधार पर कि न्यूज में यह बात आयी थी और गंभीरता से इसमें केंद्र सरकार विचार कर रही है, बुकिंग करने के लिये कि हम लाईन में खड़े हैं । मैंने अपनी तरफ से केंद्रीय मंत्री जी को पत्र लिखा और उनका जवाब आया कि पत्र मिल गया है तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी से भी इसमें परामर्श है और उनकी भी सहमति है । अगले एम्स की यदि छत्तीसगढ़ में स्थापना होनी है तो विभाग की तरफ से और शासन की तरफ से हम लोगों ने बिलासपुर को चिन्हांकित किया है और यदि दूसरा एम्स मिलता है तो वहां स्थापित करना उचित होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अजय चंद्राकर जी ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अगर आप लोगों की अब दिल्ली में चलती है तो आप लोग दिल्ली में कुछ बात करिये कि एम्स को स्वीकृति मिले । आप लोगों से तो दिल्ली में कोई बात करने के लिये तैयार नहीं है । (व्यवधान)

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- हमारे मंत्री जी तो कर रहे हैं, आप लोग दिल्ली में जाकर बात करिए न, वहां जाओ न । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- दिल्ली में आपकी सरकार है । अभी दिल्ली में पत्र भेज दिया गया है । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- अमरजीत आपको मालूम होगा कि पहला एम्स जो रायपुर का है न वह हम लोगों के (व्यवधान) सुषमा स्वराज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा स्थापित किया गया एम्स है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- पांडे जी, आपका तो लगभग-लगभग उत्तर आ गया । (व्यवधान)

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जवाब में अगर शब्द का प्रयोग किया है । मैं उनसे फिर से विनती करता हूं कि हम अगर शब्द का प्रयोग न करके, अगर हम अपनी ओर से खुद मांग कर लें कि हमको एक एम्स की और आवश्यकता है तो यह ज्यादा बेहतर होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये न, वे अभी रिमाइंडर देंगे न । यह तो अभी पहला जनवरी में हुआ है ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- आप अगर शब्द को रोकने के लिये बोल रहे हैं और अपने शब्दों को देखिये कि खुद दो बार आपने उसका प्रयोग किया है ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने मांग कर दी है और पुन: कर देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- एक काम करेंगे, एक और रिमाइंडर एक-दो महीने के बाद लिख देंगे ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और जो सुझाव आया है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह कर लूंगा । शासकीय संकल्प की भी अगर आवयश्यकता है तो मुख्यमंत्री जी से मैं बात कर लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये अजय चंद्राकर जी । इस विषय में बात हो चुकी है । श्री अजय चंद्राकर जी ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय मंत्री जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग भी दिल्ली में कुछ पत्राचार करिये न । प्रस्ताव गया है, आप लोग भी कुछ पत्राचार करिये ।

<u>खेलो इंडिया एवं छत्तीसगढ़ ओलम्पिक खेल</u>

[खेल एवं युवा कल्याण]

2. (*क्र. 29) श्री अजय चन्द्राकर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खेलो इंडिया के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य को कितनी राशि, कब-कब, किन-किन कार्यो के लिये प्राप्त हुई ? (ख) छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल योजना कब से प्रारंभ हुयी और इस संघ के अध्यक्ष, सदस्य, पदाधिकारी कौन-कौन हैं, पदनाम सहित बतायें ? वर्तमान में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल में कौन-कौन से खेलों को शामिल किया गया था ? उनमें से कितनो को राज्य ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता दी गयी है ? तथा प्रतिस्पर्धा किस स्तर ग्राम/ब्लॉक/जिला/राज्य पर करायी गयी थी ? (ग) क्याय छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल अंतर्गत विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे रही है या क्या देने हेतु क्या निर्णय लिया जा रहा है ? (घ) इन खेलों की छत्तीसगढ़ एवं राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हेतु विभाग या शासन द्वारा क्या प्रयास किये गये ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) जानकारी प्रपत्र में संलग्न[2] है। (ख) खेल एवं युवा कल्याण विभाग में छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल योजना संचालित नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नही होते। (ग) प्रश्न उपस्थित नही होता है। (घ) प्रश्न उपस्थित नही होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कब आयोजित किये गये और उसमें कौन-कौन से खेल शामिल थे और उसको किस-किस स्तर में आयोजित करके राज्य स्तर में आयोजित किया गया ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खो-खो, कबड्डी इसका 6 अक्टूबर, 2022 को आयोजन हुआ । सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में इसका शुभारंभ हुआ। छत्तीसढिया ओलंपिक में जो दलीय खेल थे, उसमें गिल्ली-डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी और बांटी था और जो एकल खेल विधा था, उसमें बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, सौ मीटर दौड़, लंबी कूद और भौंरा था। और आपका तीसरा प्रश्न क्या था?

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया है।

श्री उमेश पटेल :- नहीं, उसी में 3 प्रश्न था न।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा..।

श्री उमेश पटेल :- एक सेकण्ड, इसका पंचायत और वार्ड स्तर पर पहले आयोजन हुआ, उसके बाद यह जोन स्तर पर गया, उसके बाद विकासखण्ड और क्लस्टर स्तर पर गया और उसके बाद जिला स्तर पर, उसके बाद संभाग स्तर पर और उसके बाद राज्य स्तर पर।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल सी.एम. साहब बजट चर्चा में कह रहे थे कि हम लोग उस खेल के विरोधी हैं, हम बात कर रहे थे तब।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- कहां सुन रहे थे? (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं यह जनना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में ओलंपिक हुए, उसमें सिर्फ इतने खेलों का चयन किस आधार पर किया गया और क्या सभी खेल छत्तीसगढ़ के हैं या बाहरी खेल को भी छत्तीसगढिया कहा गया? एक। दूसरी बात यह है कि इसमें टीम का सिलेक्शन कैसे हुआ? टीम का राज्य स्तर के लिए सिलेक्शन कैसे हुआ? और इन खेलों की मान्यता छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा दी गई है क्या?

उपाध्यक्ष महोदय :- मान्यता बता दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न पूछ लेते हैं और फिर हम लोग उत्तर देते-देते भूल जाते हैं कि आप कौन सा प्रश्न पूछे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, सबसे

[2] परिशिष्ट "एक"

पहले तो छत्तीसगढिया ओलंपिक हुआ उसकी वृहदता को मैं बताता हूं। इसमें भाग लेने वाले ग्रामीण क्षेत्र में 11 लाख 37 हजार 397 महिलाओं ने भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्र में 13 लाख 86 हजार 710 पुरूषों ने भाग लिया। (मेजों की थपथपाहट) (माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा अपने स्थान पर खड़े होने पर) आप सुन तो लीजिए। आप पूरा उत्तर सुनिए। अब आपने प्रश्न किया है तो पूरा उत्तर सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपने चयन की प्रक्रिया पूछी है, फिर मान्यता पूछी है, उसे बता दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, मैंने टीम का चयन पूछा है। वे तो खिलाड़ियों की संख्या बता रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, अगर उन्होंने प्रश्न पूछा है तो मुझे भी उत्तर देने का मौका दिया जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- दीजिए। बिल्कुल दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- वे विस्तार से सुनेंगे तब न।

उपाध्यक्ष महोदय :- दीजिए। पूरा डिटेल से दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार ने नहीं किया है। हमारी सरकार ने किया है। इन्हें बधाई देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- लास्ट में देंगे बधाई।

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्रों में 62 हजार 539 महिलाओं ने भाग लिया और पुरूषों में 68 हजार 834 लोगों ने भाग लिया। कुल होता है 26 लाख 55 हजार 480, जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का 10 प्रतिशत होता है। (मेजों की थपथपाहट) आप इसमें प्रश्न कर रहे हैं कि इनका चयन कैसे हुआ? इतना वृहद आयोजन था कि हर एक को इसमें मौका दिया गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसको ये बोल दीजिए न कि सबको बॉयकॉट (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- सुनिए-सुनिए। आप पूरी बात सुनते नहीं है। यह इतना वृहद था कि इसको मुनादी करके हर एक व्यक्ति को पंचायत स्तर में..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है। वृहद स्तर में हुआ, कम स्तर में हुआ, ज्यादा स्तर में हुआ, यदि छत्तीसगढ़ के खेल..।

संस्कृति मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब भी छत्तीसगढिया की बात आती है तो इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अब यह तो जरूरत से ज्यादा है। ये प्रश्नकाल में भी..।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिएगा।

श्री अमरजीत भगत :- नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी में तकलीफ। छत्तीसगढिया खेल में भी इन्हें तकलीफ। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- हमें कोई तकलीफ नहीं भैय्या। वे उत्तर दे रहे हैं। क्या आदमी है? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- छत्तीसगढ़ी खेल-परंपरा से आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है?

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप सहयोग करिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न करना है या नहीं करना है, आप बता दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- 2 प्रश्न में 18 मिनट हो गया। मंत्री जी सहयोग करेंगे। आदरणीय चन्द्राकर साहब।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह तरीका नहीं है। या तो प्रश्न उन्हीं को दे दीजिए। रोज दिक्कत और टोका-टाकी करते हैं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- छत्तीसगढिया सब ले बढिया। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप छत्तीसगढ़ का इतना विरोध क्यों करते हैं? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप छत्तीसगढ़ के होकर छत्तीसगढिया का इतना इतना विरोध क्यों करते हैं? आप कैसे छत्तीसगढ़िया हैं। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- हम छत्तीसगढ़ को ऊपर उठा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप छत्तीसगढ़ की परंपरा का विरोध करते हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रश्नकाल के दौरान मंत्री जी इस टाइप का [XX][3] करेंगे तो प्रश्नकाल कैसे होगा? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कीजिए न। आप प्रश्न कीजिए। आप क्या है उत्तेजित हो जाते हैं। आप शांति से प्रश्न पूछिए। आप उत्तेजित हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, यह सदन क्या इस प्रकार से चलेगा? (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप लोग हर प्रश्न में खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल ऐसे कैसे चलेगा? (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। आपको तो खुश होना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपको ओलंपिक खेल के लिए बधाई देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- मंत्रियों के द्वारा प्रश्नकाल को बाधित किया जा रहा है। (व्यवधान)

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री शिवतरन शर्मा :- मंत्री ऐसा करेंगे तो यह सदन इस प्रकार से कैसे चलेगा? मंत्रियों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विरोध करते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप बैठिए। 19 मिनट हो गया। आप उत्तेजित मत होइए। प्रेम से पूछिए। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मूल प्रश्नकर्ता ये हैं । माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो बाकी मंत्री लोगों को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों होना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि अभी 19 मिनट में केवल दो प्रश्न हुए हैं । आप पूछिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहे हो भाई ?

श्री अमरजीत भगत :- ये तो पहले प्रश्न से शुरू हो गया है । आप सब लोगों ने बोला तो हमने आपत्ति नहीं की । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- अन्य माननीय सदस्यों का भी प्रश्न है, सब इंतज़ार कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसके बार मेरे ऊपर असंसदीय व्यवहार का आरोप नहीं लगना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री नारायण चंदेल :- सदन के बाधित करना उचित नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप थोड़ा शांति से पूछिएगा और आप लोग भी थोड़ा सहयोग करिएगा । अभी केवल दूसरा प्रश्न चल रहा है और 20 मिनट हो गया । अन्य सदस्यों का प्रश्न भी बाकी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बातें कही, कितनी जनसंख्या ने भाग लिया, अच्छी बात है, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है । हम सूर खेलते हैं सूर खेलते हैं । तीन ही छत्तीसगढ़ी खेल शामिल है ना, बाकी खेल तो ऑल इंडिया में खेले जाते हैं ? सूर खेलते हैं या पिट्ठुल खेलते हैं, उसी टीम सेलेक्शन होता है, उस टीम का सेलेक्शन कैसे हुआ और उसको प्रदेश स्तर तक कैसे भेजा गया, एक ? मैंने टीम के सेलेक्शन के बारे में पूछा था । क्या उन खेलों के कोई प्रशिक्षण शिविर लगाए गए और इन खेलों को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ से मान्यता है क्या ? यदि नहीं है तो क्या आप मान्यता के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं । केवल इतना ही मेरा प्रश्न था ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चनिए, मंत्री जी बताइए ।

श्री उमेश पटेल :- अब मैं बातता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इसकी वृहदता, इतनी अधिक संख्या में छत्तीसगढ़ के लोगों ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भाग लिया (मेजो की थपथपाहट) ।

श्री अजय चन्द्राकर :- फिर वही, मेरे प्रश्न का उत्तर बहुत प्वाइंटेड है महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्वाइंटेड दे रहे हैं, भूमिका के बाद आ रहे हैं, पहले भूमिका बांध रहे हैं, आप थोड़ा सुनिए तो ।

श्री अमरजीत भगत :- फिर हम बोलेंगे तो बोलोगे के बोलता है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप सुनिए तो ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, थोड़ा शांत रहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिए, ठीक है ।

श्री उमेश पटेल :- हमने जिन भी खेलों को शामिल किया, उन्हें सबसे पहले पंचायत स्तर पर खेला गया । पंचायत स्तर पर हमने हर व्यक्ति को इसमें मौका दिया, उन्हीं लोगों ने अपनी टीम बनाई और वे खेलने आए । अगर वे जीते हैं तो वे आगे बढ़ते चले गए । न ही इसके लिए किसी को रोका गया, न ही किसी को टोका गया और हर व्यक्ति को इसमें मौका देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया । दूसरा, इसी के पक्ष में बोलूंगा कि इस बार जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुआ उसमें सर्वाधिक उम्र की महिला जिन्होंने भाग लिया श्रीमती सुखबारो बाई (मेजो की थपथपाहट)।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये दूसरी बात बता रहे हैं और मैं पूछ दूसरा रहा हूं ।

श्री उमेश पटेल :- आप सुनिए तो, सुखबारो बाई, उम्र 69 वर्ष और इन्होंने गिल्ली डंडा में भाग लिया, ये दुर्ग संभाग के बेमेतरा की हैं और जो सबसे कम उम्र की बच्ची ने भाग लिया उसका नाम कुमारी अंकिता विश्वकर्मा, उम्र 6 वर्ष, खेल फुगड़ी, यह रायपुर जिले की निवासी है (मेजो की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, प्वाइंटेड प्रश्न का प्वाइंटेड उत्तर दिलवाइए ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह तो मैं पूछ ही नही रहा हूं साहब ।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- अजय जी, पूरा उत्तर तो सुन लीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप प्वाइंटेड उत्तर दीजिए, जैसा माननीय सदस्य चाह रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं वही बता रहा हूं । इतना सब बताने का कारण यह है कि इसकी वृहदता ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मेरा यह कहना है कि आप उनको संतुष्ट कीजिए ।

श्री उमेश पटेल :- जो उम्र है उसका भी कोई बंधन नहीं था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है । मैं तो पूछ रहा हूं, मुझे वही जानना है ।

श्री उमेश पटेल :- आप अगर टोकेंगे नहीं तो आपको उत्तर मिल जाएगा सर।

श्री अमरजीत भगत :- अब अगर हिंदी में नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको अंग्रेजी में समझाऊं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उन्हीं को अंग्रेजी में समझाओ ।

श्री अमरजीत भगत :- लिशन माई फ्रेंड, दिस गेम इज़ ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़िया ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, यह प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के समय का थोड़ा ध्यान देंगे ।

श्री उमेश पटेल :- छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कबड्डी, खो-खो और 100 मीटर दौड़ ये राज्य खेलों से संबद्धता प्रदान की गई है । इसके अलावा अन्य खेलों में किसी तरह की सम्बद्धता नहीं है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि संबद्धता प्राप्त नहीं है तो संबद्धता के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं और नई संबद्धता होती है तो यह खेल का व्यवस्थित आयोजन नहीं माना जाएगा। अब मैं आपसे आखिरी प्रश्न कर लेता हूं। आप यह बताईए कि छत्तीसगढ़ी खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मैंने प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं और जो फुगड़ी के 69 साल के विजेता हैं या 80 साल के विजेता हैं श्रेष्ठ हैं, उनको छत्तीसगढ़ में नौकरी देंगे क्या, उनको प्रोत्साहन तभी मिलेगा ? आप राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के लिए या छत्तीसगढ़ में उनकी यूनियन बनाएंगे क्या? पिट्ठुल यूनियन, कबड्डी यूनियन या फुगड़ी यूनियन बनाएंगे क्या ताकि उसका व्यवस्थित आयोजन हो सके ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको जबर्दस्ती विरोधी ठहरा दिया जाता है। यूनियन बनाएंगे क्या, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देंगे क्या और उनके प्रोत्साहन के लिए उनको राज्य में नौकरी का आरक्षण देंगे क्या ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- कबड्डी यूनियन नहीं बनता, कबड्डी संघ पहले से बना हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, क्या व्यवस्था है बताईए ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रश्नकर्ता पूरी बात रखते हैं, इसलिए उत्तर देने वाले को भी पूरा समय दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- क्या व्यवस्था करना है, यह पूछ रहे हैं, आप उसको बता दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, वह तो बहुत सारी चीज बोलते हैं तो उत्तर सुनने का भी धैर्य रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप एक साथ प्रश्न पूछ लीजिए। चलिए आप प्यार से सुनिए।

श्री अमरजीत भगत :- छत्तीसगढ़िया में अगर फुगड़ी खेल रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है ? उसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। प्रोत्साहन के लिए ही तो पूछा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के कोनो एको ठन खेल मा भाग ले हस बताओ। कुछ करना धरना है नहीं। कुछ भी प्रश्न पूछते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- प्रश्नकाल में ...।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए 4-5 प्रश्न पूछे। उनका प्रश्न देखिए। प्रश्न में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का कहीं नाम ही नहीं है। मैं तो उत्तर दे रहा हूं क्योंकि मैंने यह एज्यूम किया कि वह छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन उनके प्रश्न में छत्तीसगढ़ ओलंपिक योजना का नाम लिखा है।

श्री अजय चंद्राकर :- उत्तर मत दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- नहीं-नहीं, मैं तो आपको पूरा उत्तर दूंगा, आप उसके लिए चिंता मत करिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मतलब, मंत्री जी का कहना है कि प्रश्न जो पूछते हो वह ठीक से पूछा करो।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के प्रचार-प्रसार की बात है, हमारे जो पारंपरिक खेल हैं, उनके प्रचार-प्रसार की बात है या उनको मान्यता देने की बात है। राज्य ओलंपिक संघ संबद्धता जारी कर सकता है, मान्यता नहीं दे सकता। मान्यता देने का अधिकार भारत सरकार के भारतीय ओलंपिक संघ हैं, वह दे सकते हैं और जो ओलंपिक से बाहर के खेल हैं, उनको केन्द्र सरकार मान्यता दे सकती है। इसलिए हमने एक चिट्ठी भेजी...।

श्री अजय चंद्राकर :- नौकरी में आरक्षण ?

श्री उमेश पटेल :- एक प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर देने दीजिए न।

उपाध्यक्ष महोदय :- थोड़ा सा रूकिए न।

श्री उमेश पटेल :- भारतीय केन्द्रीय खेल मंत्री को हमने उल्लेख किया है, मेरे द्वारा लिखा गया है कि हमने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया।

श्री अजय चंद्राकर :- नौकरी में आरक्षण देंगे क्या यह बता दीजिए ?

श्री उमेश पटेल :- छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न बोलियां एवं आदिवासी तथा पिछड़ा वर्ग बहुल प्रदेश है, जहां प्रदेश के कोने-कोने से भिन्न-भिन्न प्रकार के स्थानीय एवं पारंपरिक खेल वर्ष भर खेले जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न त्यौहार के अवसर पर भी अलग-अलग पारंपरिक खेल गतिविधियां अनंत काल से प्रचलित है तथा इनमें स्थानीय निवासी बहुतायत में सम्मिलित होते हैं। इस अवसर पर हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कर स्थानीय स्तर पर विजेताओं को प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रदेश की जनता के पारंपरिक खेलों के प्रति रूचि देखकर प्रदेश सरकार द्वारा "छत्तीसगढ़िया ओलंपिक" नाम से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। "छत्तीसगढ़िया ओलंपिक" में प्रदेश में खेले जाने वाले पारंपरिक खेल जैसे - फुगड़ी, बिल्लस, गेड़ी दौड, कंचा (बाटी) गिल्ली डंडा, पिट्ठुल आदि खेलों को सम्मिलित कर ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक वृहद रूप से आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश के हर आयु वर्ग के लगभग 27 लाख महिला-पुरूष, बालक-बालिकाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

भारत सरकार द्वारा भी खेलों इंडिया यूथ गेम, में मलखम्ब, योगासन, थांगता, गठका, कलरिपयट्टु जैसे पारंपरिक खेलों को सम्मिलित कर देश में बढ़ावा दिया जा रहा है।

अत: आपसे अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकप्रिय खेलों को भी राष्ट्रीय खेल की श्रेणी में सम्मिलित करावें ताकि ये खेल छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ भारत के अन्य प्रदेशों में भी इनकी पहचान बने एवं अन्य प्रदेशों के खिलाड़ी इन पारंपरिक खेलों में भाग लेकर खेलों से परिचित हो सके और देश के कोने-कोने में होने वाले पारंपरिक खेल जो विलुप्त हो रहे हैं का संरक्षण किया जा सके। (मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी।

श्री अजय चंद्राकर :- राज्य में आप नौकरी में आरक्षण देंगे क्या ? मैंने यह पूछा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, अंतिम प्रश्न करेंगे। बहुत समय हो गया। इस प्रश्न में 15 मिनट का समय हो गया है। मैं आपको अंतिम अवसर दे रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आप तो पहला अवसर दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- अंतिम मतलब, इस प्रश्न का आखिरी मौका है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाईए।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुझे प्रश्न तो करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल में थोड़ा सहयोग करिएगा।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 30 सेकंड समय लूंगा। 69 साल की जो यूथ महिला है, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल को खेलने का प्रोत्साहन सरकार कर रही है। अब उनको नौकरी का आरक्षण कैसे मिलेगा ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अब यह किस हैसियत से बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- जायसवाल जी, आप थोड़ा बैठ जाईए। माननीय शर्मा जी। यह आपका अंतिम प्रश्न है।

श्री अजय चंद्राकर :- यदि वह नेता है तो उसको नौकरी दिलवा दे। उसको नौकरी दिलवा दे।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य जी, आप थोड़ा बैठ जाइये। अब माननीय सदस्य बोल रहे हैं। यह आपका अंतिम प्रश्न है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मेरा भी 54 नंबर में यही प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय :- 15 मिनट हो गये हैं। आप प्रश्न फास्ट करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भाग लिये व्यक्तियों की संख्या तथा शासन द्वारा उक्त आयोजन में खर्च की गई राशि के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

श्री अजय चंद्राकर :- करीब 23 करोड़ रूपये जारी हुई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने अभी संख्या भी बता दी कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 26 लाख लोगों ने भाग लिया और आपने कहा कि 10 प्रतिशत लोग भाग लिये। माननीय मंत्री जी, आपको यह गलत जानकारी मिली है। 10 प्रतिशत लोगों ने भाग नहीं लिया। मैं आपसे एक आग्रह यह करता हूं कि किस-किस गांव में कितने लोग ओलंपिक में भाग लिये ? इसकी सूची आप हमें बाद में उपलब्ध करा दीजिएगा। दूसरा विषय यह है कि अजय चंद्राकर जी ने प्रश्न में पूछा है कि क्या आप सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे? आपने कहा कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। वही छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हेतु प्रश्न उपस्थित नहीं होता। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री अमरजीत भगत :- क्या मूल प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो गये हैं? क्या उनका प्रश्न कम्प्लीट हो गया है?

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उमेश पटेल :- बताइये।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप थोड़ा सा शांत रहिये। आप सहयोग करिये। आप उधर ध्यान मत दीजिए, इधर प्रश्न करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ मंत्री जी बोल रहे हैं कि मान्यता के लिए प्रश्न उपस्थित नहीं होता है और दूसरी तरफ इन्होंने भारत सरकार को जो पत्र लिखा है उस पत्र को पढ़कर बता रहे हैं। मतलब, इनके उत्तर में अपने आपमें विरोधाभास आ गया और दूसरा, सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात हो रही है। आप छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करा रहे हैं, यह अच्छी बात है। अब इस आरक्षण के प्रश्न में आप बोल रहे हैं कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। आप आरक्षण क्यों नहीं देते हैं? जब छत्तीसगढ़, आप शांत तो बैठिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप थोड़ा शांत रहिये। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप अजय चंद्रकार जी को अंडर्स्टेडिंग...। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी का जवाब आने दीजिए। आप लोग शांत रहिये।

श्री कवासी लखमा :- आप लोग आरक्षण विधेयक में राज्यपाल से दस्तखत करवाओ न। वह हस्ताक्षर तो करते नहीं हैं। आदिवासियों के आरक्षण के विधेयक पर राज्यपाल के दस्तखत नहीं करवा रहे हो। राज्यपाल से दस्तखत करवाओ।

उपाध्यक्ष महोदय :- उत्तर आने दीजिए। आप लोग शांत रहिये। (व्यवधान)

सुश्री शकुंतला साहू :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़िया...। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए। आप लोग शांत रहिये। आप थोड़ा सहयोग करिये, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- आप उनसे हस्ताक्षर करवाओ न। यह शिवरतन जी बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या संसदीय कार्य मंत्री जी का यही फ्लोट मैनेजमेंट है? आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो। क्या इनके मंत्री जवाब देने के लिए समर्थ्य नहीं हैं? संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ तो [xx][4] करो।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए। बाकी लोग बैठ जाइये।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप लोग प्रश्नकाल में हर तरह की हरकत कर रहे हैं। आप सीनियर हैं।

श्री यू.डी. मिंज :- विरोध में इनके मुंह से आरक्षण ठीक नहीं लगता है। आरक्षण विरोधी।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग शांत रहिये।

श्री अजय चंद्राकर :- प्रश्नकाल को देखिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल तो आपने मेरी बातों को निकाल दिया। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक ऐसा डिस्टर्बेंस करते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, कल आपने [XX] का इंजेक्शन बुलवाया, सबको लगवा दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- इनको लगवा दीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह गलत बात है। (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या कहना चाह रहे हैं? यह गलत बात है। (व्यवधान)

सुश्री शकुंतला साहू :- यदि आप लोग आरक्षण चाहते हैं तो आप लोग पहले दीजिए। (व्यवधान)

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कल सदन में [XX] रहे थे, पहले उसको लगना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाइये। माननीय अग्रवाल जी। (व्यवधान)

---

[4] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने विशेषाधिकार हनन किया है। यदि हम लोग वह हैं तो आप लोग क्या हैं? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपने भी विशेषाधिकार भंग किया है। आप भी [XX] लगवाइये न, आप [XX] लगवाइये। हम तो लगवा लिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप शांत रहिये। शर्मा जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आइये, लगवाइये। उनको [XX] लगवाइये।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- नहीं, जो कल [XX] रहे थे, पहले उनको लगना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, दो मिनट। अग्रवाल जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह क्या है? यह क्या हो रहा है? हम तो निलंबित होने के बाद थे, यह तो साक्षात हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- बृजमोहन भाई, यदि आपको यह चीज खराब लगी है तो आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। कल प्रश्नकाल का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था।

उपाध्यक्ष महोदय :- देखिये, यह प्रश्नकाल है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, आप सबको [XX] लगवा दीजिए। [XX] हमारी बातों को कार्यवाही से निकाला जाता है। हमको [XX] लगवाया जाएगा, [XX] मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं। आपने उसको क्यों नहीं निकाला? [xx] आनी चाहिए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में राहुल गांधी जी के भाषण को निकलवाते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- यहां निकाल दिया गया बोलते हैं और दिल्ली में निकाल दिया गया, उसका...। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, बैठिये-बैठिये।

श्री यू.डी. मिंज :- प्रश्नकाल में करो...। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [xx] आनी चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- इसकी शुरूआत तो दिल्ली से हुई है।

श्री कवासी लखमा :- आपको [xx] आनी चाहिए। दिल्ली में क्या हो रहा है?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- [xx] किस बात की आनी चाहिए? आप लोग ही ऐसी हरकत कर रहे थे। आप लोग अपने आपको झांक कर देखो।

उपाध्यक्ष महोदय :- दो मिनट।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सदन की गरिमा को तो ध्यान में रखिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसंदी पर बार-बार आक्षेप करना गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाइये। मंत्री जी, दो मिनट। यह प्रश्नकाल है, इसको समझना है क्योंकि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण काल होता है। इसमें सबको अवसर दिया जाता है माननीय सदस्य इंतजार करते रहते हैं। अभी दो प्रश्न नहीं हुआ है और 35 मिनट हो गये हैं। कृपया आप लोग शांत रहिये। आप बोलियेगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनिए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ये क्या हो रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता, आप शांत रहिए । आप बोलिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है । क्या छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक में भाग लिए खिलाडियों को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। अगर सरकार आरक्षण नहीं दे रही है तो उसका पीछे क्या कारण है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- अब बहुत ज्यादा प्रश्न हो गए, इस पर उत्तर दीजिए । यह अंतिम अवसर है, उसके बाद मैं अगले प्रश्न पर सदस्य का नाम पुकारूंगा । उत्तर आने के बाद बात करिएगा ।

श्री कवासी लखमा :- आप केन्द्र में आरक्षण पास नहीं करवा पा रहे हो ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप थोड़ा शांत रहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री किस हैसियत से बोल रहे हैं ? मैंने प्वाइंटेड प्रश्न किया है, आप प्वाइंटेड उत्तर दीजिए । लखमा जी किस हैसियत से बोल रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग शांति से सुनिए, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो-तीन प्रश्न पूछे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग शांत रहिए, तब जवाब मिलेगा । मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं । इसके बाद मैं अगले प्रश्न के लिए नाम पुकारूंगा ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो-तीन प्रश्न पूछा है । इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है कि जो 10 प्रतिशत खिलाड़ियों ने भाग लिया है, उसका डेटा गलत है । मैं बहुत जिम्मेदारी से इस सदन में बोल रहा हूं कि वह संख्या सही है और मैं आपको हर एक पंचायत का डेटा उपलब्ध कराऊंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर तो आने दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब इस प्रश्न में 20 मिनट हो गए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर ही नहीं आया । मेरे प्रश्न का उत्तर कहां आया ? प्रश्न का उत्तर आने दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- इस प्रश्न में 20 मिनट हो गए हैं, मैं अब अगला प्रश्न लूंगा ।

श्री कवासी लखमा :- आप 32 प्रतिशत आरक्षण तो करा नहीं पा रहे हैं और यहां आरक्षण का प्रश्न करते हो ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग सहयोग कीजिए, समय बरबाद होता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रश्न का उत्तर तो आये ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इनका दूसरा प्रश्न था कि मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में क्यों लिखा है कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता ? मैंने यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने योजना का नाम गलत लिखा है । इन्होंने छत्तीसगढ़ ओलम्पिक खेल योजना लिखा है, पर ऐसी कोई योजना नहीं है । इसलिए हमने यहां लिखा है कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता । इनका तीसरा प्रश्न है, इन्होंने कहा कि क्या जो छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक खेल हुआ है, उसमें आरक्षण देकर नौकरी देने का प्रावधान है? इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है । जो हमारे यहां खेल नीति है, उस खेल नीति के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करके उनको शासकीय नौकरी में लिया जाता है ।

श्री उमेश पटेल :- भैया, यह प्रश्न अगली बार लगा है, उस प्रश्न को इतने जल्दी क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार सालों में कितने लोगों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करके नौकरी में लिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर दे दें क्योंकि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी दर-दर भटक रहे हैं । उनको नौकरी नहीं मिल रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- यह अंतिम प्रश्न है । मंत्री जी, आप जवाब दीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न लूंगा ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इनका प्रश्न लगा है, अगले राउण्ड में यही प्रश्न आएगा । उस समय आराम से प्रश्न कर लेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं । कल अनुपूरक में आया है कि छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के आयोजन में 21 करोड़ रूपए खर्च हो गए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- अब हो गया, आप बैठिए । माननीय धर्मजीत सिंह अपना प्रश्न करें ।

बिलासपुर संभाग अंतर्गत जिला अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों के लिए विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. (*क्र. 91) श्री धर्मजीत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर संभाग के जिला अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के लिए विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? (ख) कंडिका "क" के स्वीकृत पदों में कितने-कितने पद भरे गए हैं ? कितने कब से रिक्त हैं? (ग) कंडिका "ख" के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए विभाग द्वारा अब तक क्या- क्या प्रयास किए गए हैं, विस्तृत विवरण देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ''[5] अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बिलासपुर संभाग के जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता के बारे में, चिकित्सक के पद की स्वीकृति, उपलब्ध और पदस्थ डॉक्टरों के बारे में जानकारी मांगी है । मुझे बहुत खुशी है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के जवाब से उनका गंभीर प्रयास दिखाई दे रहा है । माननीय मंत्री जी, आपने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टर के 292 पद में से आपने 102 पद भरे हैं, अभी भी 190 पद रिक्त हैं । कुल मिलाकर 443 पदों के विरूद्ध 390 पद भरे हैं । इसमें बिलासपुर संभाग के 43 चिकित्सक विहीन अस्पताल में अभी तक डॉक्टर पदस्थ नहीं हुए हैं । यह आपके ही जवाब में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जो 43 अस्पताल जो डॉक्टर विहीन हैं, उन्हें आप कब तक भरने का प्रयास करेंगे या कब तक भर देंगे, ताकि वहां भी चिकित्सा सुविधा मिल सके ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी है, वह प्रस्तुत हो गई है और मैं एक तुलनात्मक विवरण देने का प्रयास कर रहा हूं कि 2018 में छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञ 1593 पद स्वीकृत थे, जिनके विरूद्ध 132 विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे पास थे । 2079 अंडर ग्रेजुएट्स डॉक्टर थे, जिसमें से हमारे पास 1180 डॉक्टर थे और 112 डेंटिस्ट पद के विरूद्ध में 72 पद भरे हुए थे । वर्तमान में स्थिति यह है कि 1593 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद के विरूद्ध में वर्तमान में 1633 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और अब 446 डॉक्टर कार्यरत् हैं । यानि 3.38 गुना अधिक नियुक्ति कर पाये, फिर भी रिकित्यां हैं, लेकिन इतने डाक्टर्स बढ़ें हैं। मैं आगे और जानकारी दे देता हूं ताकि आगे कब तक भर्ती कर पायेंगे, उसका पता लग जायेगा। इसी तरह एम.बी.बी.एस. डाक्टर्स, 2175 अण्डर ग्रेजुएट डाक्टर्स पदों के विरूद्ध

[5] परिशिष्ट "दो"

2181 कार्यरत दिख रहे हैं। ये आकड़ें हैं, मैं इसको थोड़ा और दिखवा लूंगा। लेकिन जितने स्वीकृत पद हैं, उससे कहीं ज्यादा डाक्टर्स किसी कारण से आकड़ें में दिख रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलासपुर संभाग के तहत बिलासपुर में 30 एम.बी.बी.एस. डाक्टर्स अधिक पदस्थ हैं। मुंगेली में 11 पद की वेकेन्सी है, कोरबा में 5 पद की वेकेन्सी है, रायगढ़ में 8 पद की वेकेन्सी है, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही स्वीकृत पद से 3 अतिरिक्त डाक्टर्स हैं तथा जांजगीर में 4 पद की वेकेन्सी है। बिलासपुर संभाग में कुल 5 एम.बी.बी.एस. डाक्टर्स अतिरिक्त हैं, अतिशेष हैं। जहां पद खाली है, वहां देकर दूसरे जिले में भेजने की स्थिति बन रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ डाक्टर्स भरने के प्रयास का प्रश्न किया था। तो मैं बताना चाहूंगा कि विशेषज्ञों की भर्ती में पहले सौ प्रतिशत पदोन्नति से भरने का प्रावधान था। उतने एम.बी.बी.एस. डाक्टर्स, मेडिकल आफिसर्स के रूप में काम नहीं करते थे, जिनकी पदोन्नति हो सके तो विशेषज्ञ के पद भरें। इसमें हमने केबिनेट से छूट मांगी थी, वन टाईम रिलेक्सेशन मांगा था, 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरने का छूट मांगा था, जो बाद में मिला और उसके माध्यम से भरने का प्रयास किया गया। आगे यह स्थिति बन रही है कि हमें शायद सौ प्रतिशत वन टाइम रिलेक्सेशन मांगना पड़े। क्योंकि उतने विशेषज्ञ, मेडिकल आफिसर्स के रूप में काम ही नहीं कर रहे हैं। पहले 5 से 7 साल में पदोन्नति होती थी। हम लोगों को केबिनेट ने, मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी कि आप उनको 2 साल में प्रमोट करके विशेषज्ञ के पद भर लीजिये। मेडिकल आफिसर्स एवं विशेषज्ञ, तीन गुना से ज्यादा विशेषज्ञ के पद पर भर्ती करने के बाद अभी भी कम पड़ रहे हैं। एक यह प्रयास किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको वित्त विभाग के आदेश की जानकारी होगी कि नियुक्ति होने के प्रथम, िद्वतीय एवं तृतीय वर्ष 70, 80 और 90 प्रतिशत स्टाइफण्ड देने का का प्रावधान रखा गया था। इसमें स्वास्थ्य विभाग ने छूट मांगा और मुख्यमंत्री जी, केबिनेट ने छूट प्रदान किया कि यहां पूरे विशेषज्ञों और मेडिकल आफिसर्स को 100 प्रतिशत स्टाइफण्ड मिला। डाक्टर्स आये, उनकी भर्ती हो, यहां काम करे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम भी उठाया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग को 641 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन करने हेतु 27.10.2021 को भेजा था। जिसमें केवल 139 लोग आये थे। 641 पदों के विरूद्ध केवल 139 उम्मीद्वार आये। पुन: विशेषज्ञ के रिक्त पदों की भर्ती के लिए 16.03.2022 को 458 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया, जिसमें केवल 31 उम्मीद्वार आये। इसमें दिक्कत यह हो रही है कि लोग नहीं आ रहे हैं। शासन और विभाग अपनी ओर से लगातार प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रयास किया गया है कि जो बाउडेंड डाक्टर्स हैं, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण 85 अनुबंधित डाक्टर्स हैं, इनको पी.जी. चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थापना दी गई है। दिनांक 20.09.2021 को फिर से 443 चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें हमको 390 डाक्टर्स मिले

थे। अब छत्तीसगढ़ में मेडिकल आफिसर्स की दिक्कत नहीं है। विशेषज्ञ डाक्टर्स की 3 गुना से ज्यादा भर्ती होने के बाद अभी भी कमी है। इनके अतिरिक्त राज्य के अन्तर्गत सी.पी.एम. की शुरूआत की गई है। फिजिशियन, सर्जन, निश्चेतना, स्त्री रोग के लिए प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से बिलासपुर संभाग को 17 चिकित्सा अधिकारी दिए गए हैं। डी.एम.एफ. के माध्यम से भी है, यह पहल सरकार ने अपनी ओर से की है और हम लोगों का यही प्रयास है कि और विशेषज्ञों की भर्ती करा सकें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत जवाब दिया है। लेकिन बहुत अफसोस होता है कि आप 600 पदों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग में भेजते हैं, उसमें 40 लोग आते हैं। तो आप उनके लिए जरा अच्छा पैकेज बनाईये। यह स्वास्थ्य का मामला है। यदि आप डाक्टर्स को छोटा-मोट तनख्वाह देंगे तो गांव में जाकर कोई काम नहीं करेगा। आप गांव में काफी बड़ा इन्फ्रास्टक्चर बनवाकर रखें हैं, अस्पताल भवन बने हैं, कुसी-टेबलें हैं, लेकिन वही है अध्यक्ष महोदय, दांत है तो चना नहीं, और चना है तो दांत नहीं । जिसका दांत नहीं है उसको चना खाने को देते हैं और जिसके पास चना है, उसके पास दांत नहीं है, ऐसे में तो चलेगा नहीं । आपसे मेरा निवेदन है कि मुंगेली जिले में, बिलासपुर जिले में, गौरेला पेण्ड्रा जिले में, बहुत ज्यादा डाक्टरों की कमी है, उन्हें आप दूर करने के लिये प्रयास करेंगे क्या ? दूसरा, जो अटेचमेंट में है, सिफारिशों में, अटैचमेंट में भी ज्यादा डॉक्टर रूके हुये हैं, उनको भी आप वहां भेजने का काम करेंगे क्या ? पैकेज को ठीक से बढ़ाने के लिये बात करिये ना, 1.15 लाख करोड़ का बजट है । डॉक्टरों को तो दीजिए, गांव वाले ईलाज तो करायेंगे ? तब तो मेडिकल कॉलेज और एम्स में थोड़ा लोड कम होगा ? गांव में दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है, गांव में बेमतलब आदमी मर रहा है, जब डॉक्टर ही नहीं है तो प्रायमरी ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बिलासपुर जिला, मुंगेली जिला, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही जिला के डॉक्टरों की भर्ती के लिये प्रयास करेंगे क्या और डॉक्टरों को अट्रैक्ट करने के लिये उन्हें बढ़िया पैकेज देने के लिये आप, माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्रालय तीनों प्रयास करके छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति करने का आप प्रयास करेंगे क्या ? इसका आप आश्वासन दे दीजिए ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से प्रयास की आवश्यकता भी है, प्रयास भी करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. रेणु अजीत जोगी जी ।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योग एवं मध्यम उद्योगों में स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान

[वाणिज्य एवं उद्योग]

4. (*क्र. 216) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 03 जनवरी 2023 के प्रश्न क्र. 151 के जवाब में बताया गया है कि औद्योगिक नीति 2019 - 2024 में अक्टूबर 2020 में किये गए संशोधन अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को उत्पादन दिनांक से 6 माह की अवधि एवं मध्यम उद्योगों को उत्पादन दिनांक से 12 माह की अवधि में किये गए स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान दिया जा रहा है, अतः वित्तीय वर्ष 2021 - 2022 और अप्रैल 2022 से 31 जनवरी 2023 तक रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और बलौदा बाजार भाटापारा जिलों में किन किन सूक्ष्म और लघु उद्योगों को उनके उत्पादन दिनांक से आगामी 6 माह तक और मध्यम उद्योगों को उनके उत्पादन दिनांक से आगामी 12 माह की अवधि तक कितनी राशि का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया गया है? उद्योगों की सूचीवार जानकारी दें। **(ख)** अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ के उद्योगों को कितनी राशि का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृत हुआ है और इसमें से कितनी राशि उद्योगों को जारी कर दी गयी है? बची हुई राशि कब तक जारी की जाएगी? जिलेवार वर्णन दें।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : **(क)** वित्तीय वर्ष 2021-2022 और अप्रैल 2022 से 31 जनवरी 2023 तक रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, गौरेला पेंड्रा मरवाही और बलौदाबाजार भाटापारा जिलों में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को उनके उत्पादन दिनांक से आगामी 6 माह तक स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिये जाने का विस्तृत विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ**[6] पर दर्शित है एवं मध्यम उद्योगों को उनके उत्पादन दिनांक से आगामी 12 माह की अवधि तक दिये गये स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की जानकारी निरंक मान्य की जावे। **(ख)** अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ के उद्योगों को स्वीकृत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की इकाई संख्यावार, राशिवार एवं जिलेवार जानकारी विस्तृत विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब** पर दर्शित है। बची हुई राशि बजट आबंटन के पश्चात् जारी की जावेगी।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री से जानना चाहूंगी कि वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2024 तक राज्य सरकार के द्वारा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम बनाया गया था, जिसके तहत लघु और सूक्ष्म उद्योगों को 6 महीने तक, जब वह उत्पादन शुरू करते हैं, उनको छूट दी जायेगी । इसी प्रकार जो उससे बड़े उद्योग हैं, वृहत श्रेणी में आते हैं, उनको 12 माह तक छूट दी जायेगी, जो उससे भी बड़े हैं, 18 माह अल्ट्रा मेगा, उनको 24 माह तक स्थायी पूंजी निवेश से छूट दी

[6] परिशिष्ट "तीन"

जायेगी । वर्तमान में स्थिति ये है कि किसी भी इंडस्ट्री को यह छूट नहीं दी जा रही है और वर्ष 2021-2022 में अब तक रायपुर, जांजगीर-चांपा और बलौदाबाजार जिले में किसी को भी अनुदान 6 माह तक प्राप्त नहीं हुआ है । इस तरह 114 करोड़ सरकार को इनको देना है, जो अभी तक नहीं दिया गया है । कृपया मंत्री जी बतायेंगे कि क्या वजह है कि ये अनुदान नहीं दिया गया है, क्योंकि इससे राज्य में लोग उद्योग लगायें, इसको प्रोत्साहन मिलता है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- उपाध्यक्ष महोदय, ये बजट आवंटन के बाद इसको दिया जायेगा।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, यह कवासी जी का क्वेश्चन है, ची-ची, कि-कि, करते रहते हो ।

डॉ.रेणु अजीत जोगी :- मंत्री जी, यह तो अंतिम चरण चल रहा है । जब तक आप देंगे...।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, धरमलाल कौशिक जी । देंगे, बजट के बाद देंगे बोल रहे हैं ।

डॉ.रेणु अजीत जोगी :- नहीं, पर यह तो ग्यारह...।

उपाध्यक्ष महोदय :- अच्छा, इसी साल के बजट के लिये ।

डॉ.रेणु अजीत जोगी :- हां । मैं यह पूछ रही हूँ कि ...।

उपाध्यक्ष महोदय :- बताईये मंत्री जी आप, वे नेक्सट बजट बोल रही हैं । अभी वर्तमान का है, ऐसा कह रहे हैं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा, दे दिया जायेगा ।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- पांच वर्ष तक क्यों नहीं दिया ?

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी । प्रश्न पूछने के लिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी...।

श्री धरमलाल कौशिक :- दूध भात है, दूध भात ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, काहे का दूध भात ।

श्री धरमलाल कौशिक :- इनके प्रश्न में दूध भात । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग शांत रहिये । थोड़ा सहयोग करिये । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- इस स्थिति में बात हुई थी कि वह अनुपस्थित रहेंगे तो उत्तर देंगे । यदि उपस्थित हैं तो उनको उत्तर देना होगा । यह आसंदी की व्यवस्था है और दूसरे मुद्दे में कैसे मुखर रहते हैं ।

श्री कवासी लखमा :- अपने विभाग के उत्तर के समय बैठे रहते हैं, बाकी समय खड़े होते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आसन्दी की व्यवस्था है कि उपस्थित रहेंगे तो ...।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, उत्तर तो दे रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह आसंदी की व्यवस्था है । उनको अनुपस्थित रहना चाहिये । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- संयुक्त रूप से रहता है, सभी की जिम्मेदारी रहती है । (व्यवधान)

सुश्री शकुंतला साहू :- उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो बलौदाबाजार जोगी कांग्रेस का प्रश्न है, प्रमोद शर्मा को खड़ा होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय धरमलाल कौशिक जी, आपको मौका दिया गया है, आप प्रश्न करिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, सामूहिक जवाबदारी होती है, मंत्री जी ने जवाब दिया है, इसकी आवश्यकता नहीं है कि यह जवाब दें या वे जवाब दें। सामूहिक जवाबदारी होती है, मंत्री जी ने जवाब दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया है। आसंदी की व्यवस्था है कि यदि मंत्री जी, कवासी लखमा जी, अनुपस्थित रहेंगे तो मोहम्मद अकबर जी जवाब देंगे। जब माननीय मंत्री, कवासी लखमा जी उपस्थित है तो आप हमारा नियम देख लीजिए कि जिस विभाग का मंत्री है उसी विभाग का मंत्री जवाब देंगे या तो ऐसी स्थिति में आप इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये या उनको बाहर भेज दीजिये। यदि वह जवाब नहीं दे रहे हैं तो इस प्रश्न को लगाने का क्या औचित्य है ? क्या आपको ऐसी कोई सूचना है कि माननीय कवासी लखमा जी की उपस्थिति में भी माननीय अकबर जी जवाब देंगे। यदि अकबर जी जवाब देंगे तो कौन से नियमों के तहत देंगे आप जरा हमें यह बता दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- जवाब तो आ ही रहा है। सरकार की तरफ से मंत्री जी जवाब दे ही रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बृजमोहन भैया, सामूहिक जिम्मेदारी है, आप बैठिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- सामूहिक जिम्मेदारी है, मैंने तो बता ही दिया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सामूहिक जिम्मेदारी है, थोड़ा-बहुत समझा करिये, अक्ल लगाया करिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- धरमलाल कौशिक जी, आप प्रश्न करिये। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप कवासी जी को हुल्लड़ करने के लिये अंदर बुला लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब समय भी 9 मिनट शेष बच गया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, बाकी लोगों के प्रश्नों पर भी ध्यान दिया जाये। इनकी अनावश्यक टांग लड़ाने की आदत बनी हई है। प्रश्नकर्ता को जवाब मिल गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- उनको हुल्लड़ करने के लिये अंदर बुला लीजिये। प्रश्न का उत्तर बोलने के लिये ... (व्यवधान)।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछेंगे या नहीं पूछेंगे इसका ...। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- उपाध्यक्ष जी, एक्च्युल में यह चाहते नहीं है कि कौशिक जी का प्रश्न है तो कौशिक जी प्रश्न पूछे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये रेणु जोगी जी कुछ पूछ रही है। आप बोलिये, प्रश्न पूछिये जो पूछ रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, यदि सामूहिक जिम्मेदारी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ... (व्यवधान)।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, बाकी सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का मौका दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. रेणु जोगी जी कुछ पूछ रही हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप ऐसे मामले में ... (व्यवधान)।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि पिछली सरकार में जो योजना अनुदान दिया जा रहा था। वह वर्तमान सरकार क्यों नहीं दे रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप स्पष्ट उत्तर दीजिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा, दे दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय धरमलाल कौशिक जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में एक प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब सिर्फ 8 मिनट बाकी है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कौशिक जी का प्रश्न है। यह एक्च्युअल में चाहते नहीं है कि कौशिक जी प्रश्न पूछे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने खड़े होकर बोला है कि सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। आप जवाब दे रहे हैं, संबंधित मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा कि हमने वित्त विभाग को भेजा है। क्या सामूहिक जिम्मेदारी होने के नाते क्या कोई मंत्री ऐसा जवाब दे सकते हैं कि वित्त विभाग को भेजा है ...?

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक जी प्रश्न करिये। सबको मौका मिलना चाहिए। यह प्रश्न दो-तीन बार आ चुका है।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय कौशिक जी को रोकने का प्रयास है। यह लोग कौशिक जी को रोकना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न पूछिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह जवाब नहीं दे सकते हैं कि हमने बजट के लिये भेजा है, व्यवस्था होगी। उनको यह बताना चाहिए कि व्यवस्था कर ली गई है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी का जवाब तो आ ही रहा है। सबकी सामुदायिक जिम्मेदारी बनती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सहयोग कीजिये। दो प्रश्न और आ जायेंगे।

<u>पेटेंट/प्रोपाईटरी सर्टिफिकेट</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. (*क्र. 115) श्री धरम लाल कौशिक : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि 21.07.2022 के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 337 में उल्लेख है कि ब्लड सेल काउंटर मशीन हेतु प्रोपाईटरी हेतु सर्टिफिकेट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग व बायो मार्कर एनालाईजर मशीन हेतु प्रोपाईटरी प्रमाण-पत्र 07.09.2020 को नोडल अधिकारी कोविड अस्पताल द्वारा दिया गया है? क्या यह सही है कि 03 जनवरी, 2023 प्रश्न क्रमांक 338 में उद्योग विभाग द्वारा बताया गया है कि पेटेंट/प्रोपाईटरी सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार छ.ग. उद्योग विभाग व अन्य विभाग को नही है तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी के द्वारा ही जारी किया जाता है? यदि हॉ तो छ.ग. शासन के अधिकारियों के द्वारा उक्तानुसार प्रोपाईटरी सर्टिफिकेट किस आधार पर जारी किया गया है तथा विभाग द्वारा प्रश्न 337 जुलाई 2022 में इन्हे किस आधार पर सक्षम माना गया है? **(ख)** उक्त प्रश्न 337 में क्या ब्लड सेल काउंटर मशीन जनवरी से अक्टूबर 2021 तक खरीदी की जानकारी प्रदाय की गई है तथा इस प्रश्न में साम्पत्तिक प्रकृति के उपकरण और रिएंजेट के क्रय की छूट उद्योग विभाग द्वारा 06.05.2022 को दिये जाने का उल्लेख किया गया है? यदि हॉ तो उद्योग विभाग द्वारा छूट जारी करने के पूर्व किस आधार पर काउंटर मशीन की खरीदी की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : **(क)** जी हाँ। प्रोपाईटरी सर्टिफिकेट के संबंध में अवगत होना चाहेंगे कि GFR-2017 की कंडिका 166 के अनुसार प्रोपाईटरी सर्टिफिकेट उपयोगकर्ता विभाग द्वारा जारी किया जाता है। उक्त कंडिका के आधार पर प्रोपाईटरी सर्टिफिकेट उपयोगकर्ता विभाग द्वारा GFR-2017 की कंडिका 166 के तहत जारी किया गया है। प्रश्न क्रमांक 337 के आधार पर प्रोपाईटरी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी/संस्था के द्वारा जारी किया गया है। **(ख)** जी हाँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग द्वारा भेजे गये मांगपत्र में ब्लड सेल काउंटर के मेक मॉडल के साथ उल्लेख किया गया था। उपयोगकर्ता विभाग द्वारा प्रोपाईटरी सर्टिफिकेट प्रदाय किया गया। अतः उक्त उपकरण का प्रोपाईटरी निविदा के माध्यम से क्रय किया गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि आपने प्रोपाईटरी के संबंध में सर्टिफिकेट जारी करने का जो जवाब दिया है। आपने यह कहा है कि विभाग के द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया गया है। आपने इसमें जी.एफ.आर. (जनरल फाइनेंशियल रूल)

2017, का नियम बताया है। आप यह थोड़ा-सा पढ़कर बता दीजिये। उसमें जिन्होंने कहा है कि हमको सर्टिफिकेट जारी करने का पावर है तो आप पढ़कर बता दीजिये कि क्या उनको यह अधिकार है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पढ़ने के लिये मत बोलिये। प्रश्न करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसका उत्तर उसी में है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं जी.एफ.आर. लाया तो नहीं हूं। लेकिन ...।

श्री धरमलाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, आप या तो प्रश्न को आगे बढ़ा दीजिये या यदि आप नहीं लाये है तो मैं आपको कॉपी दे देता हूं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैं पढ़ देता हूं। आप दे दीजिये। (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- आपक पास है ही।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसमें दिया हुआ है कि ...।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैं पढ़ देता हूं। मुझे मिल गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- Single Tender Enquirey. Procurement from a single source may be resorted to in the following circumstances:

(i) It is in the knowledge of the user department that only a particular firm is the manufacturer of the required goods.

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष महोदय, कल जब राज्यपाल जी अंग्रेजी में पढ़ रहे थे तो आप विरोध कर रहे थे कि अंग्रेजी में मत पढ़िये हिंदी में पढ़िये।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप थोड़ा सहयोग कीजिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जो जवाब आया है वह अंग्रेजी में है।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, जो भी मंत्री खड़े हो उसकी पूरी बधाई। संसदीय कार्यमंत्री जी की विद्वता का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। उनका काल हल्ला करवाना ही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें दिया हुआ है कि Proprietary Article Certificate in the following form is to be provided by the Ministry/Department before। इसमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार आपने कहा कि जो सी.एम.एच.ओ. है, उनको सर्टिफिकेट बनाने का अधिकार नहीं है। इसके आधार पर आपके जनरल फाइनेंसियल रूल 2017 का जो आपने दिया है। इसमें जो अधिकार है। यह अधिकार आपके संचालक को है या आपके कमिश्नर को है ? इनके संचालक या कमिश्नर के द्वारा कब अनुमोदन किया गया ? आप इसकी तारीख बतायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी आप तारीख बताईये ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय धरमलाल जी ने जो बात पूछी थी। मुझे भी नियम 166 मिल गया है। Rule 166 single Tender Enquiry Procurement from a single source may be resorted to the following circumstances

(i) it is the knowledge of the user department that only a particular firm is the manufacturer of the required goods

(ii) in a case of emergency the required goods are necessarily to be purchased from a particular source and the reson for such decision is to be recorded and approval of comptent authority obtained

(iii) For standardisation of machinery or spare parts to be compatible to the existing sets of equipetent (on the advice of a competent technical expaert and approved by the competent authority) the required item is to be purchased only from a selected firm

Note proprietary Article Certificate in the following form is to be provided by the Ministry/Department before procuring the goods from a single source under the provision of sub Rule 166 (i) and 166 (iii) as applicable और वह प्रोफार्मा है। यह कोविड समय की बात है। आपने दुर्ग अस्पताल के संदर्भ में चिन्हांकित प्रश्न किया है और सारे कार्यालय उस समय बंद थे। कोई काम पर रिपोर्ट नहीं कर रहे थे और सी.एम.एच.ओ. दुर्ग ने जो खरीदी की है कोरोना काल में एक या दो आइटम की खरीदी की है। वह विभाग की जानकारी में ही की है। कॉम्पीटेंट अथॉरिटी की जो बात आती है तो विभाग ने उनको यह अधिकार उस समय दिया था कि आप इसकी खरीदी कर लें। वरना काम नहीं हो पा रहा था। इन केस ऑफ एमरजेंसी थी..।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में ला देता हूँ। जो एक मोफिक का है और एक मायोडिल का है।

श्री अमरजीत भगत :- डू यू अंदरस्टैण्ड धरम जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाईये। माननीय मंत्री जी, उस समय का मेरे पास दो का दस्तावेज है, जो मैं कल निकलवाया हूँ। एक मोफिक का है एक मायोडिल का है। आप उसमें देखिए। इसमें यह एक मात्र फर्म है जो इन सब का निर्माण कर, संग्रहण कर रहा है। इसमें एस लिखा है कि वही निर्माण कर रहा है दूसरा उसके सिवाए वर्ड में नहीं है। दूसरा भी इसमें नो लिखा हुआ है। यदि इसमें नो लिखा है तो सिंगल टेण्डर पर खरीदी कैसे की गई ? यह मेरे पास है या तो आप प्रश्न को आगे बढ़ा लीजिए। तो फिर जो अधिकारी ने जवाब बनाकर दिया है वह कहीं न कहीं गुमराह करने का प्रयास किया है और इसलिए मेरे पास दस्तावेज हैं। आप बुलवा लीजिए और यदि नहीं है तो आप प्रश्न आगे बढ़ा लीजिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्न आगे बढ़ाने की बात नहीं है। आप भी उसमें जान रहे हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है वह जो प्रोफार्मा भरा गया है यह एक मात्र फर्म है जो इस मद का निर्माण कर ही है। this is the only firm who is the manufacturein..।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है नो।

उपाध्यक्ष महोदय :- केवल दो मिनट बाकी है। आप प्वाईंटेड प्रश्न पूछिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप इस प्रश्न को आगे बढ़ा लीजिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, आप जो भी जानकारी चाह रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें मैं केवल जांच चाह रहा हूँ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और उसके बाद जो भी जानकारी है, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उसमें जांच करवा दीजिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी जानकारी है, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्री मोहन मरकाम जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बस जांच करवा दीजिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर उसके बाद आपको लगता है कि कुछ करना है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूँ कि आप जांच करवा दीजिए। यह 200-400 करोड़ रूपये का मामला नहीं है। यह 500-600 करोड़ रूपये का मामला है। यह 600 करोड़ रूपये का मामला है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो अधिकार है उस समय केवल 50 हजार रूपये की खरीदी करने का अधिकार है।

श्री अमरजीत भगत :- दा क्लॉज इज क्लियर।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इसकी जांच करवा लीजिए। यदि जांच में दोषी पायेंगे तो ठीक है और यदि नहीं पायेंगे तो ठीक है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके प्रश्न के माध्यम से मेरी जानकारी में पूरी बात आई हुई है।

श्री अमरजीत भगत :- दा क्लॉज इज क्लियर, बट यू आर वेरी कंफ्यूज्ड।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 500-600 करोड़ रूपये की जो खरीदी हुई है । बल्कि 800 करोड़ की जो खरीदी हुई है। यह कोरोना काल के कुल सामान की है। दुर्ग अस्पताल 500 करोड़ रूपये की खरीदी कैसे कर सकता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बोल रहा हूँ कि आप उसकी जाचं करवा लीजिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांच की बात नहीं है। आपको जो जानकारी चाहिए, वह मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसमें जांच की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही है नहीं तो मैं जांच करवा देता।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको गलत जानकारी दी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जांच करवा दीजिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। उसके बाद भी आपको अगर कोई संदेह होगा ...।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा भ्रष्टाचार। माननीय मंत्री जी आप जानकारी नहीं छुपायेंगे, यह मुझे मालूम है। लेकिन जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार हुआ है और उसे अधिकारियों द्वारा दबाने का प्रयास हुआ है ...(व्यवधान) आप जांच करवा लीजिए।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- 15 सालों तक आप लोग भ्रष्टाचार किये थे। (व्यवधान)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाईये। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यह भ्रष्टाचार की बात बोल रहे हैं। आप भ्रष्टाचार के कागज दिखाईये। (व्यवधान)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23**

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पटल पर रखता हूं।

(1) वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट) पटल पर रखता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिये)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिये) पटल पर रखता हूं।

(4) विभिन्न विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन

(i) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021- 2022 (1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022)

(ii) शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2021-22,

(iii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, का दमश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

(iv) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का अठावनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (1 जुलाई, 2021 से 30 जून 2022),

(v) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (1 जुलाई, 2021 से 30 जूलन, 2022) तथा

(vi) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :-

(i) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021- 2022 (1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022)

(ii) शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2021-22,

(iii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, का दमश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

(iv) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का अठावनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (1 जुलाई, 2021 से 30 जून 2022),

(v) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (1 जुलाई, 2021 से 30 जूलन, 2022) तथा

(vi) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022)

पटल पर रखता हूं।

(5) पण्डित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पण्डित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022) पटल पर रखता हूं।

पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हमने प्रश्नकाल में उठाया है कि मंत्री की उपस्थिति में क्या कोई दूसरा मंत्री जवाब दे सकता है? इसके बारे में आसंदी की व्यवस्था है कि अगर मंत्री उपस्थित होगा तो उसको जवाब देना होगा, अनुपस्थित होगा तब वह जवाब देगा। जब ये आपकी व्यवस्था है। मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न यह है

कि प्रश्नकाल में माननीय मंत्रीगण खड़े होकर व्यवधान उत्पन्न करें और बाकी सदस्यगण खड़े होकर सदस्यों को प्रश्नों का जवाब न पूछने दें तो इसके बारे में आपकी व्यवस्था आनी चाहिए। मैं आपसे इस बात का आग्रह करता हूं। खाली सुनना नहीं है। यह महत्वपूर्ण विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय :- व्यवस्था देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय दो-तीन मंत्री ऐसे हैं जो अपने समय पर तो जवाब नहीं देते हैं पर बाकी सदस्यों के प्रश्नों पर वह खड़े होकर व्यवधान उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में आपका जवाब आना चाहिए। प्रश्नकाल में मंत्री disturb करते हैं, इसके बारे में आपकी व्यवस्था आनी चाहिए। मेरा आपसे इस बात का आग्रह है। आप इस पर व्यवस्था दें। मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। जो पूर्ववर्ती व्यवस्था आई है, मैं उसको देखकर मैं करवाता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे व्यवस्था के प्रश्न पर ही बोलना है। जो प्रश्नकाल में स्थिति बनी और जो सम्माननीय मंत्रीगण disturb करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा नहीं है कि ऐसा होता है। कल एक अजीब सी घटना घटी। संयुक्त विषय है, इसलिए मैंने उसको जोड़ा। स्थगन हमारा है। स्थगन में जब बोल रहे थे तो शून्यकाल पूरा नहीं हुआ। उसके बाद जो शून्यकाल का विषय हम लिखित वाला देते हैं, आप उसको बोलते हैं कि पढ़ा हुआ मान लिया गया या पढ़ने का अवसर देते हैं। वह पूरा नहीं हुआ। ग्राह्यता या अग्राह्यता पर आपके निर्णय नहीं आये हैं। हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। पूरे माननीय मंत्रीगण, पूरा सदन हमारे स्थगन प्रस्ताव में हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आपकी व्यवस्था नहीं आई है। आप अग्राह्य करते, ग्राह्यता पर बोलते या स्वीकार होने के बाद बोलते तो समझ में आता। लेकिन कल तो हमको ही बोलने नहीं दे रहे थे। ये disturb कर रहे थे। यह जो नई व्यवस्था इस विधानसभा में विकसित हो रही है, उस पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए, तभी आगे गतिविधि चलेगी। नहीं तो फिर यह हल्ला करेंगे, हमको बोलने नहीं देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, शिवरतन शर्मा जी, आप अपनी बात रखिये। व्यवस्था आयेगी। पूर्ववर्ती व्यवस्था देखता हूं, फिर करता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम किसी विषय पर बोलेंगे तो फिर यह हमको नहीं बोलने देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न आदरणीय बृजमोहन जी ने, अजय चन्द्राकर जी ने उठाया। कल भी ऐसा हुआ। आज भी आपने आसंदी से खड़े होकर कई बार निर्देशित किया पर उसके बाद भी मंत्री खड़े रहे। सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि एक मंत्री तो ऐसा

है कि अपने विभाग में जब जवाब देने की बारी आती है तो मौन बैठे रहते हैं और बाकी समय खड़े होकर हुल्लड़ करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न में जब कोई व्यवस्था आ जाये .. (जारी)

श्री जयप्रकाश

Jaiprakash\03-03-2023\b11\12.05-12.10

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर जब कोई व्यवस्था आ जाए, उसके बाद ही कार्यवाही आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग अभी बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, केशव प्रसाद चंद्रा जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था तो दीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, हम लोग शून्यकाल में बोलेंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह कार्यवाही से संबंधित है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रश्नकाल में हम व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते, परंतु उसके बाद भी हमने आपके संज्ञान में लाया है। हम शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। हमने आपसे व्यवस्था चाही है और इस व्यवस्था के नहीं आने के कारण सदन में अव्यवस्था हो रही है। मंत्रीगण सदस्यों के प्रश्नों के समय खड़े होकर disturbance करते हैं। अपने समय पर वे जवाब नहीं देते हैं। वे संयुक्त जिम्मेदारी की बात करते हैं, परंतु वे बोलते हैं कि वित्त विभाग को भेजा है, इसको भेजा है, उसको भेजा है, यह इनका जवाब नहीं होता है। हम तो चाहेंगे कि इसके बारे में आपकी व्यवस्था है कि मंत्री अनुपस्थित होंगे तो दूसरा मंत्री जवाब देगा, परंतु यदि मंत्री उपस्थित हैं तो दूसरा मंत्री जवाब दे सकता है क्या? देश के संसदीय इतिहास में, विधानसभा के इतिहास में, मध्यप्रदेश विधान सभा में भी हम लोग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं, बहुत से मंत्री रहे हैं, रविन्द्र चौबे जी रहे हैं। आज तक कभी भी मंत्री की ..।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैं आप सबकी बात को समझ चुका हूं। मैंने आपके आशय को समझा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री की उपस्थिति में दूसरा मंत्री जवाब नहीं दे सकता। यह तो पूरे parliamentary system को त्रस्त कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं आपकी भावनाओं को समझ गया हूं। मैं आप तीनों की भावनाओं को समझ गया हूं। मैं पूर्व की व्यवस्था को दिखवाता हूं। नेता प्रतिपक्ष जी, थोड़ा-थोड़ा बोलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष जी, अभी हम शून्यकाल में बोलेंगे। माननीय हम शून्यकाल में बोलेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, पहले व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था तो आ जाए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष जी, विपक्ष अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- शून्यकाल में हम लोग बोल रहे हैं और बीच में आप खड़े हो गये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अच्छा, तुम खड़ा हो सकते हो तो मैं खड़ा नहीं हो सकता?

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप लोग भी एक-एक करके बोलो न। आप लोग इकट्ठा क्यों खड़े होते हो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप खड़ा हो सकते हैं तो मैं खड़ा नहीं हो सकता?

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, हमने व्यवस्था का प्रश्न पूछा है तो आपकी व्यवस्था तो आनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने पहले भी कह दिया है कि पूर्ववर्ती व्यवस्था को देखूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष साहब। मैंने कह दिया न कि मैं पहले की व्यवस्था देखकर मैं अपनी बात कहूंगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय बृजमोहन जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। छत्तीसगढ़ विधान सभा की एक गरिमा है और छत्तीसगढ़ विधान सभा की गरिमा को पूरा देश उसका स्वागत करता है और इस विधान सभा की जो नजीर है। चाहे पं. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल के समय हो, चाहे प्रेम प्रकाश पाण्डेय जी के समय हो, यहां की नजीर को पूरा देश की विधानसभा मानता है।

श्री अमरजीत भगत :- आप धरमलाल कौशिक जी का उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय आप थोड़ा चुप हो जाईये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उपस्थित हैं, लेकिन जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से यहां की विधानसभा की गरिमा को गिराया जा रहा है। हमारा यह अधिकार है कि हम स्थगन प्रस्ताव लायेंगे। हम शून्यकाल में उसको उठायेंगे, हम शासन का ध्यान आकर्षित करेंगे। आज प्रश्नकाल में जिस तरीके से वरिष्ठ मंत्रियों ने सदन को बाधित करने का प्रयास किया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। (विपक्ष के सदस्यों द्वारा शेम-शेम की आवाज) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसंदी से व्यवस्था आनी चाहिए। हम आपसे व्यवस्था नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल मैं पूर्ववर्ती व्यवस्था को देखकर कराता हूं। केशव चंद्रा जी आप बोलिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट। मेरा शून्यकाल ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हम आपसे इसलिए व्यवस्था चाहते हैं ..।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं यही बात पहले भी कह चुका हूं कि पूर्व व्यवथा को देखूंगा, उसके बाद व्यवस्था दे दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम आपसे इसलिए व्यवस्था चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद ...।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने तो पहले भी कह दिया है, आप समझिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष जी, आप एक बार सुन लीजिये। इसके बाद जब हम शून्यकाल में बोलेंगे, हम स्थगन में बोलेंगे, हम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलेंगे, तब भी यही स्थिति रहेगी तो फिर विपक्ष के अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- दबाने की कोशिश हो रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसलिए हम आपसे इस बात को चाहते हैं कि आपकी व्यवस्था पहले आ जाए, जिससे कि माननीय सत्तापक्ष के लोग विपक्ष के आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वह न कर सकें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, कुछ भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। यह लोग पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं, मध्यप्रदेश की विधानसभा में क्या कर रहे हैं?

श्री अजय चंद्राकर :- यह अब कैसी बातें कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- वे लोग शून्यकाल में अपनी बात रख रहे हैं, आप बैठ जाईये।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- संसद में क्या हो रहा है। जो संसद में होगा, वह विधानसभा में होगा। संसद में जो विपक्ष के साथ होगा, वह विधानसभा में होगा।

श्री कवासी लखमा :- लोकसभा में विपक्ष के नेता बोलते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। राहुल गांधी बोलते हैं तो उसको निकाल देते हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मुख्यमंत्री जी आपका संरक्षण है। वे हमारी बातों को अनर्गल बोल रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन आप लोग तय तो कर लीजिये। आप लोग एक-दूसरे को धक्का-मुक्की क्यों कर रहे हैं?

श्री अजय चंद्राकर :- बहुत खुबसूरत। संसदीय कार्य मंत्री जी, बहुत जोरदार। आप भी ऐसी भाषा में चुप बैठे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- (व्यवधान) इसलिए परेशान रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने आप सबकी बात सुनी है, मैंने विचार किया है और मैं इस पर व्यवस्था दूंगा । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आपके सामने कहा गया । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- बाकी लोगों को भी बोलने का मौका दीजिये । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से लगातार संसदीय कार्यमंत्री पर आरोप लगाये जा रहे हैं यह उचित नहीं है । मेरा सम्माननीय विपक्ष के साथियों से अनुरोध है कि कृपया व्यवस्था का पालन करते हुए अपनी बात रखें । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी सुन लीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, केशव चंद्रा जी । मैं व्यवस्था दूंगा, मैंने तो बोल दिया है । (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम दो दिन से देख रहे हैं कि जब से आप आसंदी में बैठे हैं, लगातार आपकी अवहेलना, आपका उपहास । आदेशों की अवहेलना की जा रही है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरी भी बात सुन लीजिये । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप अगर केवल एकत-तरफ की बात करेंगे तो नहीं चलेगा । यह सदन चलता है तो आसंदी की मर्जी से चलता है । आप लगातार उनके ऊपर उंगली उठायेंगे, उनके ऊपर प्रश्नचिह्न लगायेंगे तो कैसे चलेगा ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने विचार किया है । मैं बाद में व्यवस्था दे दूंगा । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है । संसदीय कार्यमंत्री जब लोगों को ऐसा-ऐसा करते हैं, यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहती है । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी के ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाये जा रहे हैं जो कि निंदनीय है । विपक्ष इस तरीके की भाषा का उपयोग न करे । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि आपकी व्यवस्था आने तक आप सदन को स्थगित कर दें और आपकी व्यवस्था आ जाये तो उसके बाद सदन सुचारू रूप से चलेगा क्योंकि हमने जो मुद्दा उठाया है । (व्यवधान)

आसंदी के जो निर्देश हैं उसी के ऊपर उठाया है । हमने कोई नयी बात नहीं की है और आपके मना करने के बाद भी एक मंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि अनर्गल बात कर रहे हैं । (व्यवधान) हम इस सदन में अनर्गल बात करने के लिये नहीं आते हैं । मैं कल की कार्यवाही पढ़ रहा था, हमारी बातों को काट दिया गया है लेकिन आज जो बाकी मंत्रिगण कहते हैं उनकी बातों को पूरी तरह प्रिंट किया जाता है । अगर हम अनर्गल बात करने के लिये यहां पर आयें तो हमारा औचित्य क्या है ? इसके ऊपर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए । उसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ायें तो ज्यादा अच्छा होगा इसलिये आप कार्यवाही स्थगित कर इस पर व्यवस्था दे दें । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन जी बोल रहे हैं, ये सीनियर सदस्य हैं । कल से लगातार आसंदी के ऊपर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहे हैं (व्यवधान) और जब आसंदी के क्रियाकलापों के ऊपर प्रश्न खड़ा होगा तो कैसे सदन सुचारू रूप से चलेगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने आपकी बात पर विचार किया है, मैं बाद में व्यवस्था दे दूंगा । मैंने आपको पहले ही बता दिया है । चलिये केशव प्रसाद चंद्रा जी । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- हां, मैं बिल्कुल व्यवस्था दे दूंगा । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कि वह व्यवस्था अगली कार्यवाही शुरू होने के पहले आ जाये । मेरा एक प्रश्न और है । (व्यवधान)

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- अन्य दलों को बोलने नहीं देते हैं । केशव चंद्रा जी खड़े हैं लेकिन उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है कि इसके ऊपर आपकी व्यवस्था सदन की कार्यवाही आगे बढ़ने के पहले आ जाये तो आगे आने वाले समय में हम इस कार्यवाही में भाग ले पायेंगे । मेरा इस बारे में आपसे आग्रह है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये न, मैं व्यवस्था दूंगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- मैं नइ बोलओं, बइठे रहओं का ? (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- एकदम सही बात है, वे ठीक बोल रहे हैं न ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, केशव चंद्रा जी आप बोलिए । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी आप बैठिए । मैं अभी व्यवस्था दे रहा हूं । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सारे दिन ये 14 लोग ही बोलते हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे? क्या सारे समय ये 14 लोग ही बोलेंगे ? (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- अन्य दलों के सदस्यों को भी बोलने दिया जाये । बसपा विधायक जी खड़े हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- ये लोग केशव चंद्रा जी को बोलने नहीं दे रहे हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूं । (व्यवधान) केशव चंद्रा जी ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे दीजिये कि ये 4 लोग ही बोलें । (व्यवधान) बाकी आसंदी से जो नाम पुकारा जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है । बाकी सदस्य बाहर चले जायें, ये 4 लोग ही बोलें और यहां सदन में ये जैसा चाहें वैसा ही हो । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री केशव चंद्रा जी । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- ये लोग हर समय बाधा और हर समय उलझाकर रखते हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- शांत रहिये, मैं व्यवस्था दे रहा हूं । (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज 4 प्रश्न हुए । केवल 4 प्रश्न हुए । दूसरों के प्रश्नों में भी ये बोलें और बाकी में भी बोलेंगे । पूरे छत्तीसगढ़ की जवाबदारी इन 4 लोगों ने ली है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैं व्यवस्था दे रहा हूं । (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि दूसरे लोग भी बोलें । (व्यवधान)

<u>व्यवस्था</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- आपने जिस संबंध में व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से ध्यानाकर्षण किया है, मेरी व्यवस्था निम्नानुसार है :-

पंचम विधानसभा में माननीय वाणिज्यकर मंत्री के संबंध में पूर्व व्यवस्थाएं हैं । माननीय अध्यक्ष ने पूर्व उदाहरण नहीं होगा के आधार पर भी माननीय वाणिज्य कर मंत्री जी के उपस्थिति रहने के दौरान सामूहिक जिम्मेदारीवश अन्य मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया था । यह व्यवस्था है, यह तो पहले भी हो चुका है । पहले भी यह व्यवस्था दे चुके हैं । तद्नुसार ही व्यवस्था जारी है। (व्यवधान) चलिये, केशव चंद्रा जी ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गयी थी कि ग्राम पंचायत के 20 लाख का जो कार्य एजेंसी बनाने का अधिकार था उसको 50 लाख करेंगे और इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने समस्त कलेक्टर, जिला पंचायत के सी.ई.ओ. और जनपद पंचायत के सी.ई.ओ. को भी आदेश दिये हैं लेकिन डी.एम.एफ. से जो कार्य स्वीकृत है, मंडी बोर्ड के कार्य स्वीकृत हैं, नाबार्ड के कार्य स्वीकृत हैं और अभी समस्त शिक्षा मद से जो है कार्य स्वीकृत है । यह जो करीब-करीब 621 करोड़ 81 लाख 8 हजार रूपये है। डी.एम.एफ. से 12 करोड़ 33 लाख 66 हजार रूपये है। इन सभी कामों में किसी भी काम में ग्राम पंचायत को एजेंसी नहीं बनाया गया है, बल्कि विभाग को एजेंसी बनाकर विभाग के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम गांव को बढ़ावा देंगे। ग्राम पंचायत के अधिकार को सुरक्षित करेंगे। उनके अधिकार को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ विभाग से यह काम करवाने के कारण 11 हजार 664 पंचायत के लोग इस कार्य से वंचित हैं। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, इसकी चिंता सरकार को नहीं है, बल्कि इनके ठेकेदार काम करें और गुणवत्ताविहीन काम करें, इसकी चिंता सरकार को है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़ के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। समस्त शिक्षा मद में जो अतिरिक्त कक्ष और मरम्मत के लिए है, इसके 12 कॉलम

में इन्होंने लिखा है कि इस कार्य हेतु निर्माण एजेंसी का निर्धारण संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत को एजेंसी नहीं बनाया गया। बनाया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपकी लगभग बात आ गई।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत ने ऐसी क्या गलती कर दी कि इसे एजेंसी नहीं बनानी है। दूसरी तरफ ये खुद बोलते हैं कि जो कलेक्टर है वह निर्धारित करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी शून्यकाल की सब बातें आ गई हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है। मैंने इसमें स्थगन दिया है। चूंकि यह 11 हजार 664 ग्राम पंचायतों की बात है, जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की बात है और यह सरकार उनके अधिकारों का हनन कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपकी बात आ गई।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने के लिए ये काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें आपको स्थगन दिया है। मेरा निवेदन है कि आप इसे ग्राह्य करके चर्चा करायें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि सदस्यों को [xx]का इंजेक्शन लगाया जाये और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि मैंने इंजेक्शन बुलवा लिया है और माननीय रविन्द्र चौबे जी ने कहा कि [xx]जैसी आवाज निकाल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस सदन में जो लोग बैठे हैं, उन्हें [xx]का इंजेक्शन लगता है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- व्यवस्था में लगवा लेते हैं और यह सदन के नेता से शुरूआत हुई। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- सदन के नेता से शुरूआत हुई। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या हनुमान चालीसा पढ़ना, क्या जय श्री राम बोलना, क्या भगवान का नाम लेना गलत है। ये सरकार हिंदू धर्म का अपमान करती है। (व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सदन में भगवान का नाम नहीं ले सकते। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन के नेता से शुरूआत हुई है। मुख्यमंत्री जी पहल करें। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- जब धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो यहां हिंदू धर्म का क्यों इतना ज्यादा गुणगान हो रहा था। संविधान धर्मनिरपेक्ष है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- हूं-हूं की आवाज निकाल रहे थे। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस सदन में केवल हम लोग नहीं बैठे हैं। इस सदन में ये भी बैठे हुए हैं। क्या यहां बैठे हुए लोग इस केटेगरी के हैं? (व्यवधान)

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- हूं-हूं की आवाज निकाल रहे थे। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- हूं-हूं चिल्ला रहे थे। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के एक वरिष्ठ नेता यह कहते हैं कि आप सब [xx]हो। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये [xx]शब्द इस्तेमाल करना क्या संसदीय है या असंसदीय है। शोभनीय है या अशोभनीय है? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्योंकि वरिष्ठ सदस्य [xx]कहते हैं, तो वे चुनी हुई सरकार को जनता को क्या देना चाहते हैं [xx]है कह कर इस पवित्र सदन में। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- हूं-हूं की आवाज निकाल रहे थे। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और यह विधान सभा ने इंटरनेट में लोड किया है, उसका मैंने प्रिंट आउट निकाला है। जो आपकी विधान सभा की कार्यवाही में लोड किया गया है और इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि हम सूचना दें। विधान सभा को स्वयं संज्ञान में लेना चाहिए। विधान सभा को स्वयं संज्ञान में लेकर ऐसे विषयों को या तो कार्यवाही से विलोपित कर देना था या इसके लिए आपको माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो विशेषाधिकार का प्रस्ताव आपको स्वयं को लाकर उनके खिलाफ में कार्यवाही करनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ये केवल हमारा अपमान नहीं किया गया है। चेयर पर माननीय अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं आ रहे हैं? कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक प्रश्न को समय दे दिया, [xx], अध्यक्ष महोदय ने कहा मेरे से इस्तीफा ले लीजिए। (शेम-शेम की आवाज) मेरे से इस्तीफा ले लीजिए। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- यह गलत बात है। आप इस प्रकार से आरोप नहीं लगा सकते। आप साबित कीजिए। आप इसे साबित कीजिए (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने माननीय अध्यक्ष जी का अपमान किया है। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप इस प्रकार से मत बोलिए। आप इसे विलोपित करिए। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- हूं-हूं की आवाज निकाल रहे थे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सभी बैठिए। आप लोग बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- उपाध्यक्ष महोदय, आप इसको विलोपित करिये। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- उपाध्यक्ष महोदय, आप इसको विलोपित करिये ।

डा. लक्ष्मी ध्रुव :- जब संविधान धर्मनिरपेक्ष है तो यहां हिंदू धर्म के गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है । क्या गर्भगृह में जाना पर्याप्त नहीं था ? (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- कल हूं-हूं कर रहे थे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अरे, अपने समय कहां चले जाते हो ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान किया है । हम यह अपमान सहन नहीं करेंगे । (व्यवधान)

डा. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोगों ने तो माननीय राज्यपाल का भी सम्मान नहीं किया है तो बाकी का क्या करोगे ? (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- सम्मानित सदस्य ने गलत तरीके से सदन से माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं । जिसकी हम निंदा करते हैं और आपसे यह अपील करते हैं कि इस तरीके से तथ्यहीन बात, गैर जिम्मेदाराना बात करके सदन को गुमराह न करें । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण के अंश को पढ़ रहा हूं । मैंने स्वास्थ्य मंत्री को कहा है (व्यवधान) ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- विधान सभा में देखकर नहीं पढ़ा जाता ।

श्री शिवरतन शर्मा :- तो मेरा निवेदन है कि सदन के नेता को पहले लग जाए फिर हम लोग लगवा लेंगे । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- संविधान का पालन करना सीखिए ।

श्री देवेन्द्र यादव :- विपक्ष के लोग प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं । चुनी हुई सरकार के लिए [xx]जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है । (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, क्या इन्हीं चार लोगों को हर विषय में बोलने का अधिकार है ? हर प्रश्न में खड़े होकर बोलते हैं, चार लोग ।

श्री अमरजीत भगत :- नाच न जाने आंगन डेढ़ा । खुद गलत करेंगे और दोषारोपण दूसरों पर करेंगे । लगातार दो दिनों से आसंदी पर उंगली उठाई जा रही है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- राज्यपाल का सम्मान नहीं कर सके ।

श्री अमरजीत भगत :- आसंदी पर प्रश्न चिह्न खड़ा कर देंगे तो कैसे चलेगा?

श्री नारायण चंदेल :- जो प्रश्न बृजमोहन जी ने उठाया । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- आसंदी को लगातार चुनौती दी जा रही है । यह बहुत गंभीर बात है । (व्यवधान)

<u>व्यवस्था</u>

<u>चर्चा के दौरान कोई असंसदीय शब्द कार्यवाही में रह जाए तो उसे संपादन के समय विलोपित कर दिया जाता है ।</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- आपने जिस कार्यवाही का उल्लेख किया है । प्रतिदिन की कार्यवाही माननीय अध्यक्ष के अवलोकन हेतु प्रस्तुत होती है । यदि कार्यवाही में कोई शब्द असंसदीय अथवा असंतोषजनक

प्रतीत होता है तो वे पश्चात् सम्पादन की प्रकिया में विलोपित किया जाता है । अत: ऐसा नहीं है कि कोई आपत्तिजनक अंश कार्यवाही में है तो वह कार्यवाही का भाग हो गया । शोधित कार्यवाही में उसे विलोपित किया जाता है । जहां तक तत्समय कार्यवाही में से कोई अंश, कार्यवाही चलने के दौरान निकाले जाने का प्रश्न है वह तत्समय संज्ञान में आने पर आसंदी से विलोपित करने हेतु निर्देशित होता है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इसको पढ़ा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद् देता हूं । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए । कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुपूरक बजट के भाषण के जवाब में अपने उत्तर में अगर असंयमित भाषा का उपयोग किया है तो आसंदी से मेरा निवेदन है कि उसको विलोपित करें ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपने जिस भाषण का उल्लेख किया है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- ताली दो हाथ से बजती है ।

श्री अमरजीत भगत :- पेड़ लगाए बंबूल का तो आम कहां से होय । आप जैसा बोलते हैं, उसका जवाब वैसा ही मिलता है ।

श्री नारायण चंदेल :- सदन के नेता को गरिमा बनाकर रखना चाहिए और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय टी.एस.सिंहदेव जी, यहां पर पूरा सदन उपस्थित था, आप सब लोग उपस्थित थे । अगर इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है तो यह उचित नहीं है । छत्तीसगढ़ की विधान सभा अगर इस तरह की नज़ीर बनाएगी तो आने वाली पीढ़ी आपको बोलने वाली है कि किस तरह की भाषा का उपयोग आप लोग कर रहे हैं, यह अच्छा नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय नेता जी, आने वाली पीढ़ी यह भी देख रही है कि किस तरह से आपके सदस्य [xx]जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस पवित्र सदन में कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपने जिस भाषण का उल्लेख किया है, मेरे संज्ञान में लाया गया है । अवलोकन करके सम्पादन की प्रक्रिया में विचार कर विलोपित किया जाएगा और मैं उसको दिखवा भी लूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, मेरी शून्यकाल की सूचना है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जानकारी में एक विषय लाना चाहता हूं । वह विषय यह है कि जब हम निलंबित हो जाते हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास सदन में 90 सदस्य हैं । छत्तीसगढ़ के सदन में 90 सदस्य हैं । 4 लोगों ने ठेका नहीं लिखा रहा है, 4 लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ का ठेका नहीं ले रखा है । यह 90 लोगों का सदन है । अन्य सदस्यों को भी बोलने का अधिकार है और उनको बोलने से बार-बार रोकना यह गंभीर विषय है । उपाध्यक्ष महोदय, जब से आप आसंदी में बैठे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं

हो रहा है कि आदिवासी आदमी उस कुर्सी में बैठा है। (मेजों की थपथपाहट) इसलिए लगातार अपमान करने का काम कर रहे हैं। यह इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आसंदी को लगातार चुनौती दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के सदन में 90 सदस्य हैं। पूरे आसंदी को चैलेंज करने का क्या यह 4 लोग ठेका ले रखे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए आप बैठिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, आप इसको विलोपित कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई सदस्य निलंबित हो जाता है तो उसकी किसी भी चीज को रिकार्ड नहीं किया जाता है। हमने जो नारे लगाएं, हमने जो कुछ कहा, उसको आपने सदन की कार्यवाही में नहीं लिया।

उपाध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल बराबर।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है, उसके बारे में किसी भी प्रकार का सदन का नेता या हमारे संसदीय कार्य मंत्री या हमारे विद्वान स्वास्थ्य मंत्री अगर वे उसके उपर में प्रतिक्रिया देते हैं तो यह सदन की अवमानना है। हम चाहेंगे कि इसके बारे में...। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, बाकी सदस्यों को भी मौका दिया जाए। (व्यवधान)

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- यही लोग बार-बार बोलेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- संसदीय कार्य मंत्री जी बोलिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों की जवाबदारी है। 90 लोग हैं। सिर्फ 4 लोगों को भाषण देने का ठेका आपने नहीं ले रखा है। बाकी लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप थोड़ा सा शांत रहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह विलोपित कर दिया जाएगा। इस भाषा का उपयोग करना ठीक नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप शांत रहिए। आप बोलिए।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उपाध्यक्ष महोदय, सबका समय लिमिट करिए। सबका समय लिमिट होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी बोल रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हम प्रतिपक्ष का हृदय से सम्मान करते हैं। हम लोग भी प्रतिपक्ष में 18-18 साल रहे हैं और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की पूरी जवाबदारी है। उपाध्यक्ष जी, आप आसंदी में बैठे हैं, आपके हर आदेश को हम लोग मानते हैं, हम लोग

आसंदी से बंधे हुए हैं। शब्दों की मर्यादा केवल हमारे लिए ? आदरणीय बृजमोहन जी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, माननीय अजय चंद्राकर जी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, आदरणीय शिवरतन भैया, डॉ. साहब सामने बैठे हैं। माननीय ननकीराम जी और धरम कौशिक भैया, आप तो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, आसंदी भी संभाले हुए हैं। यह हम सबकी जवाबदारी है। अभी जो केशव चंद्रा की पीड़ा थी, आदरणीय बृहस्पत भैया बोल रहे हैं कि क्या सबकी पीड़ा नहीं हो सकती ? हर प्रश्न में आप ही बोलेंगे और हम सब लोग सुनेंगे, सुन भी रहे हैं। उत्तर भी आ रहा है लेकिन शब्दों की मर्यादा में मैं ऐसा समझता हूं जो हमें सलाह दिया जा रहा है, थोड़ा स्वयं को भी पालन करना होगा। (मेजों की थपथपाहट) सदन चले, हम चाहते हैं सदन चले। आपकी सारी बातें आए, आप प्रश्न भी करें, हमें मालूम है आप प्रतिपक्ष में बैठे हैं तो आप आलोचना ही करेंगे। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन अपनी बात तो कहें। आप केवल बात की शुरूआत से केवल आरोप-प्रत्यारोप में जाना, शब्दों की गरिमा आपको भी रखना पड़ेगा। समय की मर्यादा हमारे लिए है तो आपके लिए भी है। सभी सदस्य कह रहे हैं। मैं तो उम्मीद करूंगा कि हमारा यह आखिरी बजट सत्र है। इसके बाद पता नहीं दो तीन दिन का सत्र होगा। फोटो वगैरह होगा, यह सत्र पूरा चले। माननीय धरम भैया, बिजनेस एडवायजरी की बैठक में आपने कहा कि समय कम है तो हमने कहा कि हम लंच भी समाप्त करेंगे, हम सात बजे तक सदन भी चलायेंगे, आप बोलिए न, स्वागत है। छत्तीसगढ़ की जनता भी सुनना चाहती है। लेकिन केवल आरोप लगा करके और नारेबाजी करके आप कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है, आप पूरा कर रहे हैं। हमारे शब्दों में आपको तकलीफ होती है। अभी महाराज साहब ने कहा न, हम क्षमा मांगते हैं, हमारे शब्दों में आपको कोई तकलीफ होती है तो हम खेद व्यक्त करते हैं। हम सदन की मर्यादाएं जानते हैं। हम लोग लगातार आपके साथ इस सदन में बैठे हुए हैं। हम सब लोग चाहते हैं छत्तीसगढ़ सदन की गरिमा सारे देश में है। हमारी परंपराएं, हमारी मर्यादाएं.....।

श्री अजय चंद्राकर :- वह आपने तार-तार कर दिया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- फिर वही बात हुई न। आपको सुनना है नहीं। माननीय नेता जी बोलते हैं तब भी आप इसी प्रकार की बात कहते हैं। अपने नेता प्रतिपक्ष का तो सम्मान करिए। हम तार-तार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हमसे किस प्रकार की उम्मीद करेंगे। ये भी सब नये सदस्य चुनकर आए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह उम्मीद करता हूं कि आगे बढ़ें। प्रतिपक्ष को पूरा मौका दें। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। (मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, बहुत हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी...।

श्री धरमलाल कौशिक :- शिवरतन जी, एक मिनट। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप बोलने तो दीजिए।

श्री कुलदीप जुनेजा :- उपाध्यक्ष जी, आपस में एक जगह बैठा दीजिए। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौबे जी बहुत अच्छा बोलते हैं। (व्यवधान) लेकिन उसी बात को तो हमने कहा न।

श्री बृहस्पत सिंह :- कौशिक जी, यह लोग आपको बोलने नहीं देते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसी बात को तो हमने कहा न कि जो गरिमा की बात आई, आप [xx] के इन्जेक्शन लगवा कर जाएंगे तो गली में लोग उनको क्या बोलेंगे ? (हंसी)

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- हौं-हौं।

श्री धरमलाल कौशिक :- लोग उनको क्या बोलेंगे ? तो आप उनको [xx] का इन्जेक्शन क्यों लगवाना चाहते हैं और आप गली में क्या बोलवाएंगे ? (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, शर्मा जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- धरम भैया, यह वाद-विवाद का शब्द नहीं था, लेकिन जो आवाजें निकल रही थीं, वह किस तरीके से निकल रही थीं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, [xx] का इन्जेक्शन आदमी को लगता है, यह कुत्ते को लगाने के लिए बोल रहे हैं। (हंसी)

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 40 दिनों से अनुकम्पा नियुक्ति की मांग को लेकर मृतक शिक्षाकर्मी की पत्नियां यहां धरने में बैठी हुई हैं और अब वह इतनी परेशान हो गई हैं कि उन्होंने परसों अपना सिर भी मुंडवा लिया। पिछले 40 दिनों से पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी की सहायिका धरने में बैठी हुई हैं। पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ियों में ताला लगा हुआ है। हम कुपोषण मुक्ति की बात करते हैं और इधर 40 दिनों से आंगनबाड़ी में ताला लगा है। वर्ष 2018 में जन घोषणा पत्र जारी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा था कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर वेतन देंगे। हम इनको नर्सिंग व्याख्याता के रूप में प्रमोट करेंगे। हम प्रदेश की मितानिनों को 5 हजार रूपये महीना वेतन देंगे। संविदाकर्मी, दैनिक कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, सारे लोगों को हम नियमित करेंगे और आज पूरे प्रदेश में स्थिति यह बन गई है कि सारा कर्मचारी वर्ग आंदोलित है। इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में जो-जो वादा किया था, उसमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। आंगनबाड़ी में कोई तन्ख्वाह नहीं बढ़ी। संविदा कर्मियों को रेग्यूलर नहीं किया गया। खाली समिति, समिति बनाओ और समिति बनाकर छोड़ दो, सरकार केवल यह काम कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी लगभग-लगभग पूरी बात आ गई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस मुद्दे पर हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे स्थगन को स्वीकार करके आप उस पर चर्चा करवाएं।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। धर्मजीत सिंह जी। उसके बाद आपका लेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और यहां की सहायिकाएं, जो कि 1 लाख से भी ज्यादा की संख्या में हैं, वह हड़ताल कर रहे हैं और उनकी मांग बहुत जायज है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को 6,500 रूपये मिल रहा है और सहायिकाओं को 3,200 रूपये मिल रहा है जबकि हमारे पड़ोस में जिससे हम अलग होकर के आये हैं, उस प्रदेश में 10 हजार रूपये और 6 हजार रूपये मिल रहा है तो हर बात में हम मध्य प्रदेश को फॉलो करते हैं तो इनकी तन्ख्वाह को 10 हजार रूपये करने में क्या तकलीफ है ? 1 लाख, 15 हजार करोड़ रूपये का बजट हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपकी बात आ गई। अजय चंद्राकर जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठे हैं वह विशेष रूप से अपने अधिकारियों को भेजे और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं की तन्ख्वाह बढ़ायें और वह उनकी तन्ख्वाह इसलिए बढ़ाये क्योंकि वह छोटे-छोटे बच्चों की देख-रेख करते हैं और गांव में सरकार की एजेंसी को पहुंचाने का भी काम करते हैं। वह चुनाव में भी काम करते हैं। आप उनसे जो काम लेते हैं यह तो लेबर एक्ट का उल्लंघन है। उनको सरकार से जो न्यूनतम वेतन मजदूरी मिलनी चाहिए, यह श्रम कानून का उल्लंघन है। सरकार के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए कि उनको श्रम कानून से भी कम पैसा मिल रहा है। इसलिए आप कृपा करके माननीय मुख्यमंत्री जी कहें।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आपकी पूरी बात आ गई है। अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार में स्थिति यहां तक खराब है कि जन घोषणा पत्र बनाने वाले माननीय मंत्री जाकर माफी मांगे हैं कि मैं अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, काम नहीं कर पा रहा हूं और इसलिए उन्होंने अपना एक विभाग भी छोड़ दिया। मंत्री जी ने जाकर कहा है कि मैंने वित्त विभाग को चिट्ठी लिखी है। यह भी कहा है। इस सरकार के असत्य कथन की हालत यह है कि कल के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि इन्होंने जो कमेटी बनाई है उसकी 1 बैठक हुई है और दूसरी बैठक अगस्त, 2022 को हुई है और आखिरी में उस उत्तर में लिखा है कि समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। 1 लाख से ऊपर यह कर्मचारी हैं। पदों की गणना हो रही है, जानकारी जुटाई जा रही है, ऐसा करेंगे और एक पोथा लिख दिया गया, जिसका नाम जन घोषणा पत्र है। अब उसको पोथा कहना भी बेकार है क्योंकि वह तो शासकीय दस्तावेज है। वर्ष 2019 के अभिभाषण में उसको स्वीकार किया गया है कि हमने इसको आत्मसात किया है तो यदि आपको उसको आत्मसात

किया है और गवर्नर से उसको कहलवाया गया है तो इन कर्मचारियों के साथ न्याय होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्य है कि अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिलने से माताएं मुंडन करवा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आपकी पूरी बात आ गई है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके उस पर चर्चा कराएंगे तो हम और बहुत सारे तथ्य रखेंगे कि उनसे नौकरी लगाने के नाम पर ठगी हो रही है। उनसे पैसा खाया जा रहा है। उनका काम करवाने के लिए [xx]घूम रहे हैं। हम सारे आरोप...।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मैं करवा लूंगा। चलिये, मोहले जी, आप बोलिये।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- [xx]बोल रहे हैं।

श्री यू.डी. मिंज :- आप कैसे बोल रहे हो कि [xx]घूम रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप स्वीकार कर लो।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- हम लोग कैसे स्वीकार करेंगे ? हम लोगों ने कहा ही नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इसको स्वीकार कर लीजिए, हम बताएंगे। स्वीकार करके चर्चा कराओ न ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, अभी चन्द्राकर जी ने [xx]कहा है, उस शब्द को विलोपित किया जाये । यह बहुत घोर आपत्तिजनक बात है । [xx]शब्द को विलोपित किया जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष जी, आप स्वीकार करके चर्चा कराईए, मैं साबित करूंगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बिल्कुल साबित करके बताईए ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- आपके विभाग की मंत्री रमशीला साहू जी ने भी 10 हजार देने की घोषणा की थी ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत जी, आप बैठिए, पुन्नूलाल जी बोलेंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बिल्कुल आप साबित करके बताईए । [xx] शब्द को विलोपित किया जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष जी, आप स्वीकार करके चर्चा कराईए, मैं साबित करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मोहले साहब, आप बोलिए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, [xx] को विलोपित कर दीजिए और उसमें यह लिख दीजिए कि जो उनके डी.ओ. हैं, उनके लोग 50 हजार रूपए के लिए घूम रहे थे, उनकी दलाली कर रहे थे, ऐसा लिख दीजिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 34 दिनों से आंदोलन में बैठे हैं तथा अनुकम्पा नियुक्ति वाले 134 दिन से बैठे हैं और अनुकम्पा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं । उनकी मांगे हैं कि उनको 10 हजार वेतन दिया जाये, उनको नियमित की

जाये और उनकी 7 और मांगे हैं । उन मांगों को पूरा किया जाये । वे हड़ताल में बैठे हैं और कांग्रेस सरकार के कान में जूं भी नहीं रेंग रही है। उनसे बात करें, चर्चा करें ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी बात आ गई, दो मिनट में समाप्त करें ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- आपकी केबिनेट की मंत्री रमशीला साहू जी ने कहा था कि 10 हजार देंगे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि अनुकम्पा नियुक्ति देंगे और इनकी सभी सुविधाओं को हम देंगे, लेकिन चार साल बीतने के बाद भी सरकार अभी तक उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है । हमने इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव दिया है, आप उसको ग्राह्य करके चर्चा कराईए ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के मैदानी कर्मचारी हड़ताल में हैं । नियमितिकरण, वेतनमान को लेकर उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और यह वही बातें हैं, जो इनके द्वारा घोषणा-पत्र में की गई है । जो इनकी घोषणा-पत्र में है, उसकी होने की उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही है । हम चाहते हैं कि इस संबंध में चर्चा होगी, हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर चर्चा कराईए । हम उनकी बातों को भी सरकार के समक्ष रखने का मौका मिलेगा ।

श्री रजनीश सिंह (बेलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है । आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा कर्मी, अनुकम्पा नियुक्ति चाहने वाली रसोईया, सफाई कर्मचारी और लगभग कई कर्मचारी पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ की राजधानी में और विभिन्न स्थानों पर अपना धरना प्रदर्शन और आन्दोलन कर रहे हैं । सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि जाकर उनसे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं । हमने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया है । आपसे आग्रह है कि इसको ग्राह्य करके चर्चा कराई जाये, ताकि हम इसमें और ज्यादा तथ्य और तर्कसंगत बात रखेंगे।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरे कर्मचारी संगठन एक साथ प्रदेश की राजधानी में बैठे हैं । सरकार को इतनी फुर्सत नहीं है कि किसी को भेज दें या वहां पर जाकर कोई सार्थक चर्चा कर सकें । आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिलाएं, शिक्षा कर्मी, विधवा बहिनें मुंडन करवाने पर मजबूर हैं क्योंकि सरकार का ध्यान उनकी ओर नहीं जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- वह बात आ गई है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है और सरकार का ध्यान किसी भी वर्ग की ओर नहीं जा रहा है क्योंकि

शासन, प्रशासन में तालमेल नहीं है, यह स्पष्ट है । कहीं पर भी शासन, प्रशासन की बात नहीं सुन रही है । यदि कर्मचारी संगठन हड़ताल पर बैठे हैं तो सरकार का कामकाज ठप्प है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मूल बात आ गई है, डॉ. रमन सिंह जी ।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति प्रदेश में कभी नहीं आई । मुझे तो 15 साल का अनुभव भी रहा है और मैं 4 साल की हालत देख रहा हूं । छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई । 5 लाख, 60 हजार, 890 कर्मचारी आन्दोलनरत् हैं । उन आन्दोलनरत् कर्मचारियों में आंगनबाड़ी के 40 हजार सहायिकों की संख्या, 80 हजार रसोइयां, 68 हजार मितानिन मिलाकर 5 लाख, 80 हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आपके शासनकाल में भी वे लोग बैठे थे ।

डॉ. रमन सिंह :- आंदोलनरत् कर्मचारियों को राजधानी से 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया । आज जो स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारियों की बनी हुई है और जिस प्रकार से घोषणा-पत्र में वादा किया था कि जो तृतीय वर्ग-चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के पदोन्नति की बात हुई थी, चार स्तरीय वेतनमान की बात हुई थी, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितिकरण की बात की गई थी, किसी की छंटनी नहीं होगी, शिक्षा कर्मियों को दो साल में नियमित किया जायेगा, मितानिन को 5 हजार रूपया मासिक दिया जायेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कलेक्टर दर पर वेतन दिया जायेगा। स्कूल में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर वेतन दिया जायेगा। तेन्दूपत्ता प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा दिया जायेगा, सातवे वेतनमान के एरियर्स की बकाया राशि दी जायेगी, लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा। सभी अनुकम्पा नियुक्ति का तत्काल निराकरण किया जायेगा। विद्या मितान का नियमितीकरण किया जायेगा और पुलिस कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जायेगा। यह जनघोषणा-पत्र का वादा है। हम कोई अलग बात नहीं बोल रहे हैं। जनघोषणा-पत्र की वजह से ये सत्ता में आये और सरकार में बैठे हैं। आज साढ़े चार साल हो गए। मैं जिन 12 बिन्दुओं का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, इसमें से एक भी बिन्दु का अभी तक निराकरण नहीं हुआ है।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इस सरकार का कार्यकाल बचा नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने के बाद इस सरकार की जो स्पीड है, वह मैं बताना चाहता हूं। यह सरकार कितनी स्पीड से दौड़ रही है कि ए.जी. से अभिमत मांगा गया था और सवा चार साल में ए.जी. का अभिमत नहीं आया है, आज तक इन कर्मचारियों और बाकी लोगों के लिए ए.जी. का अभिमत नहीं आया है। जो संविदा नियुक्ति है, अनियमित कर्मचारी है, बाकी आंगनबाड़ी के कर्मचारी हैं, यह सरकार इतनी तेज दौड़ रही है कि चार साल में ए.जी. का अभिमत नहीं आ पाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 2019 में 14,500 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया, लेकिन अभी तक उनका सत्यापन नहीं हो पाया है। मुझे लगता है कि सरकार के जाने के बाद उनका सत्यापन होकर नियुक्ति आदेश मिलेगा। मतलब आप चार साल में भी सत्यापन करवाने लायक नहीं है, ऐसी सरकार की स्थिति है। सरकार का यह अमला है कि आप चार साल में भी सत्यापन नहीं करवा पाये। आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आप 15 हजार लोगों की भर्ती नहीं कर पाये और उसमें से कई ऐसे लोग हैं, जो दिवंगत हो गये। उनकी विधवाएं बैठी हुई हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, सरकार की गलती है। नहीं तो आज वे लोग अनुकम्पा नियुक्ति में नौकरी में लग गई होती। पात्र होने के बाद भी, सारी प्रक्रिया होने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। बैठकें नहीं हो रही हैं। कल जवाब में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 38 विभाग ने जानकारी ही नहीं भेजी है। मतलब मुख्यमंत्री जी की बातों का इतना अमल किया जा रहा है कि 38 विभाग ने अनदेखा किया और उसकी जानकारी ही नहीं भेजी। इस प्रकार से आप देखेंगे तो प्रदेश के पूरे कार्यालय बंद हैं, कार्यालय ठप्प है, उसके बाद यह परिस्थिति है। आप इस स्थगन को स्वीकार करिये, चर्चा करवाईये, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज सारे कर्मचारी देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद और छत्तीसगढ़ बनने के पहले डी.ए. के लिए अधिकारी कभी सड़कों पर नहीं आये थे। लेकिन कांग्रेस के इस मुख्यमंत्री जी कार्यकाल में अधिकारियों को अपने डी.ए. के लिए सड़कों पर आना पड़ा है, इससे और बदतर स्थिति क्या हो सकती है?

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। किसी कार्यालय में काम नहीं हो रहा है। सारे कर्मचारी, चाहे आंगनबाड़ी कर्मचारी से लेकर रसोईयां हो, विद्युत कर्मी हो, वन के फड़ मुंशी हो, सारे कर्मचारी आंदोलनरत हैं। जो संविदा कर्मचारी हैं, वह नियमित करने की मांग कर रहे हैं, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, वह कलेक्टर रेट की मांग कर रहे हैं। इस सारी मांग की जड़ जनघोषणा-पत्र है। पूरे प्रदेश का वातावरण खराब हो रहा है, कार्यालयों में काम नहीं हो रहा है, इन आंदोलनों के कारण जनता अपने अधिकारों से वंचित हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि हमने स्थगन का प्रस्ताव दिया है, आप चर्चा करायें और सारी बातें सामने आनी चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महाभारत काल में कौरवों के अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपदी ने अपने बाल बिखराये थे। यह कलियुग है, इस कलियुग में शिक्षाकर्मियों की विधवाओं को अपना मुण्डन करवाना पड़े, इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई दूसरी नहीं हो सकती है। उनका मुण्डन इस सरकार को भस्म करेगा। ये जो कौरव है, ये 17-14-15 लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं । हम दबने वाले नहीं है, मेरे पास में जनघोषणा पत्र है, आपने जनघोषणा पत्र में क्या कहा था, शासकीय कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक

कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारी, समायुक्त दर पर कार्यरत कर्मचारी, श्रमिक प्लेसमेंट, मानदेय, अंशकालिक, ठेका वाले कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, दिवंगत पंचायत शिक्षकों के आश्रित परिवार पंचायत कर्मी, सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक, व्याख्याता, सफाई कर्मी, रसोईया, मितानिन इन सभी के साथ वादा खिलाफी की जा रही है । यह हमने नहीं कहा था, यह इन्होंने कहा था कि हम नियमित करेंगे, हम सातवां वेतनमान देंगे, हम संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, हम डेली वेजेस वाले को नियमित करेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे छत्तीसगढ़ में यह हालत है, परीक्षायें चल रही है, परन्तु 1 लाख 4 हजार सहायक शिक्षक हड़ताल पर बैठे हुये हैं, छोटे-छोटे बच्चों को पिछले तीन महीने से ....।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- भाषण दे रहे हैं । भाषण की अनुमति है क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हॉ, है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- कहां है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनकी अनुमति से है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- लगभग-लगभग आपकी बात आ गई है । पूरी बात आ गई है । (व्यवधान) सब आ गया । सभी का विषय एक आ गया है । सब की बात आ गई । आपको तीन मिनट से ज्यादा हो गया । छोटे-छोटे बच्चों को रेडी टू ईट नहीं मिल रहा है । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, वह कहां है ? 15 लाख किधर है ? (व्यवधान)

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- साईन करा दीजिए, सब काम हो जायेगा । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ से 5 लाख से अधिक कूपोषित बच्चों को तीन महीने से रेडी टू ईट नहीं मिल रहा है । (व्यवधान) हम आपसे चाहेंगे कि इसके ऊपर में हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके आप उस पर चर्चा करवायें ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल । सभी का बात लगभग आ गया है । माननीय नेता प्रतिपक्ष । आप ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव दिया है, हमारे सारे सदस्यों ने स्थगन का मूल भाव जो है, उसे व्यक्त किया । माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, जनघोषणा पत्र के संयोजक राजा साहब यहां उपस्थित हैं, यहां पूरा मंत्रिमंडल उपस्थित है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बुढ़ातालाब में धरना स्थल पर आंगनबाड़ी की हमारी विधवा बहनें धरने में बैठी है, 138 दिन हो गये हैं, मैं वहां पर गया था यानी 4 महीने 8 दिन हो गये हैं, मैंने उनसे बातचीत किया । उन्होंने बताया कि शासन और प्रशासन का कोई व्यक्ति उनसे बात करने नहीं आया है, उसकी सुध लेने नहीं आया है, उनसे चर्चा करने नहीं आया है । उपाध्यक्ष महोदय, यह

सरकार की संवेदनहीनता को उजागर करता है, इस सरकार को विधवाओं से बात करने की फुर्सत नहीं है, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं से बात करने की फुर्सत नहीं है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हड़ताल के कारण आंगनबाड़ी बंद है, लोगों को पोषण आहार नहीं मिल रहा है, यह किस प्रकार की सरकार है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे कर्मचारी संगठन, जितने भी नाम गिनाये हैं, प्रशासन ठप्प है, शासकीय कार्यालय में 50-60 किलोमीटर दूर खर्च करके गांव का आदमी जाता है, वहां पर पता चलता है कि सारे कर्मचारी हड़ताल पर है । वह किसान आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, गांव का आदमी कितनी बार जायेगा और इसलिये माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित है, यहां पूरी सरकार उपस्थित है, मेरा आग्रह है कि सरकार उनसे बातचीत करे, संवाद करे, उस समस्या का हल निकाले, हमने महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव दिया है, आपसे मेरा निवेदन है कि यह स्थगन प्रस्ताव 5 लाख कर्मचारियों का प्रतिबिम्ब है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये हम चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव पर सार्थक चर्चा हो, ताकि उसका समाधान निकल सके ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्थगन पर अपना निर्णय तो दें । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप स्थगन को स्वीकार करके चर्चा करायें । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर 5 लाख लोग स्ट्राईक पर बैठे हैं । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- यह सरकार ने बोला है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, आप स्थगन पर चर्चा कराएं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री सौरभ सिंह :- आपने जनघोषणा पत्र में बोला है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप स्थगन पर चर्चा कराएं।

श्री सौरभ सिंह :- आपने झूठ के ऊपर उनके वोट लिये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है।

श्री सौरभ सिंह :- आपने उन्हें नियमितीकरण का वायदा करके वोट लिया है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थगन पर चर्चा कराइये।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज आप अपने वायदे से पीछे हट रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- आप पीछे कैसे हट रहे हैं ? उनके परिवारों ने आपके ऊपर विश्वास किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, आप स्थगन पर चर्चा कराईये। आपसे हमारा निवेदन हैं।

श्री सौरभ सिंह :- आपसे आग्रह हैं कि आप सदन में इसकी चर्चा कराएं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन के नेता बैठे हैं। संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं। यदि हम लोग किसी विषय को उठा रहे हैं तो संसदीय कार्यमंत्री जी को बड़ा दिल करके इस पर चर्चा करवानी चाहिए। शासन का जवाब आ जाये। आप स्थगन प्रस्ताव पढ़वा लें। शासन का जवाब आ जाये, तब तो इस विषय का महत्व होगा। आप इस पर चर्चा करवा लें।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने शून्यकाल में ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय पहले स्थगन पर तो आ जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- सुनिये तो ..। थोड़ा रूकिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप स्थगन पर तो बोलिये।

<u>अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने शून्यकाल में आप सब सदस्यों के द्वारा कही गयी बातें सुनी हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री नारायण चंदेल एवं अन्य सदस्य डॉ. रमन सिंह जी, श्री धरमलाल कौशिक जी, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, श्री अजय चंद्राकर जी एवं अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत जनघोषणा पत्र में की गई घोषणा पूरी नहीं करने को लेकर स्थगन प्रस्ताव की सूचना जो कर्मचारियों की हड़ताल एवं उनके आक्रोश के संबंध में प्राप्त हुई है। जैसा कि स्थगन प्रस्ताव के ऊपर कल भी व्यवस्था दी गई थी कि बजट सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न माध्यमों से अपनी बात कहने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। बजट सत्र में सामान्यत: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जाती है। माननीय सदस्यों को अनुदान की मांगों पर भी विभागवार चर्चा में अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। जो विषय इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना में उठाया गया है, वह प्रशासनिक मामला भी है। अत: इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना को मैंने अग्राह्य कर दिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अलग विषय है, यह अलग विषय है। (व्यवधान) यह बजट का विषय नहीं है। (व्यवधान)

(विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय केशव प्रसाद चंद्रा के द्वारा दी गयी स्थगन प्रस्ताव की सूचना मैंने अग्राह्य कर दी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह महत्वपूर्ण विषय है। यह महत्वपूर्ण विषय है (व्यवधान)। 5 लाख कर्मचारी स्ट्राइक पर है।

उपाध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित।

(12.53 से 1.07 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

1.07 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री सन्तराम नेताम) पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण की सूचना लूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उसको लीजिए। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ ही नहीं, वरन् देश के किसी भी विधान मण्डल में आज तक के संसदीय इतिहास में किसी संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने सदस्यों की बर्खास्तगी की मांग कभी नहीं की है। वर्ष 1937 से जब से भारत ने विधान मण्डल स्वीकार किया है तब से और देश की स्वतंत्रता के बाद भी किसी संसदीय कार्यमंत्री ने अपने सदस्यों की चाहे वह विपक्ष के हों या पक्ष के हों, बर्खास्तगी की मांग नहीं की है। पिछले सत्र में छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री माननीय रविन्द्र चौबे जी ने हम लोगों के लिए बर्खास्तगी की मांग की कि इनको बर्खास्त किया जाए।

श्री सत्यनाराण शर्मा :- आप पिछले सत्र की बात क्यों कर रहो हो?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप नियम प्रक्रिया में मत जाईये। चलिये, फिर आप किताब खोल लीजिए। मैं भी नियम प्रक्रिया की किताब खोलता हूँ। हमने उसमें निन्दा प्रस्ताव दिया है। जब हम बर्खास्त होने की मांग कर रहे हैं, सत्तारूढ़, विपक्ष और हमारे आपके बीच में वह सेतु का काम करते हैं। जब हमारे ऊपर उनका यह व्यवहार है, यह उनकी भावनाएं हैं तो हमने आपको भी पत्र दिया है। मैं पत्र का उल्लेख बाद में करूंगा। हमने निन्दा प्रस्ताव दिया है। आपसे आग्रह है कि आप उस निन्दा प्रस्ताव पर चर्चा करवाने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। डॉ. के.के. ध्रुव जी।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अब होगे न। वहीच-वहीच ला कतक बोलबे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तमाशा है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पूछ सकते हैं कि हम लोगों ने निन्दा प्रस्ताव दिया है या नहीं। अगर हमने लोगों ने निन्दा प्रस्ताव दिया है तो आप इनके ऊपर में कार्यवाही करवाओ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन लोग क्या तमाशा करके रखे हैं उसी-उसी को केवल दो ही लोग बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। यह आएगा। डॉ. के.के. ध्रुव जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उसके ऊपर में कार्यवाही करवाएं। आप उसको एक बार देख लें।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। डॉ. के.के. ध्रुव जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर कुछ तो कहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने बोला न कि उसको देखेंगे। यह ध्यानाकर्षण के बाद में करेंगे न।

श्री अजय चन्द्राकर :- किसी भी संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा विधानमंडल में ऐसा बात नहीं कही गई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन में संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।

समय :

1.10 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला अंतर्गत विपणन कार्यालय (मार्कफेड) के अधिकारियों द्वारा अनियमितता की जाना।

डॉ. के.के. ध्रुव (मरवाही) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिला अंतर्गत जिला विपणन कार्यालय (मार्कफेड) में अधिकारियों की मिलीभगत से अनियमितता की जा रही है। जिला विपणन कार्यालय द्वारा गलत तरीके से जिले की 04 राईस मिलों से फर्जी बैंक गारंटी जमा कराकर धान उठाव कराया जाकर शासन को करोड़ों रूपयों की क्षति पहुंचाई जा रही है। जिले की चार राईस मिलें क्रमश: श्याम इंडस्ट्रीज अंजनी-गौरेला, श्याम फूड प्रोडक्ट अंजनी-गौरेला, यश माडर्न फूड प्रोडक्ट अंजनी-गौरेला तथा यश राईस मिल अंजनी-गौरेला द्वारा कूटरचित ढंग से फर्जी बैंक गारण्टी लगाकर धान उठाव किया गया है। वर्तमान खरीफ वर्ष में भी चारों राईस मिलरों द्वारा लगभग 01 माह के दौरान फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर धान का उठाव किया गया है, जिसकी राईस मिल ऐसोसिएशन द्वारा खाद्य सचिव से भी शिकायत की गई थी। इस प्रक्रिया में भारतीय स्टेट बैंक की भूमिका भी संदेहास्पद रही है। कलेक्टर के प्रतिवेदन में कूटरचित बैंक गारंटी जमा कर धान उठाव करने का कृत्य सत्यापित होना पाया गया है एवं चारों राईस मिलों को कालीसूची में दर्ज करने की अनुशंसा भी की गई है। जिले में मार्कफेड कार्यालय द्वारा अनियमितता को बढ़ावा दिये जाने, चारों राईस मिलरों के खिलाफ आज दिनांक तक कोई कार्यवाही न किए जाने से क्षेत्र के अन्य राईस मिलरों व आम जनता में रोष व्याप्त है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला के राईस मिलर श्याम इंडस्ट्रीज अंजनी गौरेला, श्याम फूड प्रोडक्ट अंजनी गौरेला, यश मार्डन फूड प्रोडक्ट अंजनी गौरेला तथा यश राईस मिल अंजनी गौरेला द्वारा कस्टम मिलिंग अनुबंध अंतर्गत बैंक गारंटी

जमा की गई थी जिसके आधार पर उनको धान प्रदाय किया गया। राईस मिलरों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी जमा के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा जांच हेतु दिनांक 20.12.2022 को जांच दल गठित किया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के 04 राईस मिल क्रमश: श्याम इंडस्ट्रीज अंजनी गौरेला, श्याम फूड प्रोडक्ट अंजनी गौरला, यश मार्डन फूड प्रोडक्ट अंजनी गौरेला तथा यश राईस मिल अंजनी गौरेला के संचालकों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर कस्टम मिलिंग हेतु धान का उठाव किया गया। यह सही नहीं है कि इन 04 राईस मिलों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कलेक्टर गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही द्वारा इस संबंध में प्राप्त शिकायत के जांच के उपरांत राज्य शासन को उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के तथ्यों के आधार पर इन 04 राईस मिलों को वर्तमान खरीफ वर्ष 2022-23 में कस्टम मिलिंग कार्य हेतु काली सूची में दर्ज किए जाने, पूर्व में उठाव किये गये धान का चावल मार्कफेड के देखरेख में जमा कराने तथा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही के लिए खाद्य विभाग द्वारा आदेश दिनांक 29 दिसंबर, 2022 जारी किया गया। राज्य शासन के इस आदेश के विरूद्ध उपरोक्त राईस मिलरों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की गई तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 12 जनवरी 2023 एवं 16 जनवरी 2023 में खाद्य विभाग के उपरोक्त कार्यवाही संबंधी आदेश दिनांक 29 दिसंबर 2022 को निरस्त करते हुए संबंधित राईस मिलरों के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत सुनवाई का अवसर दिये जाने का आदेश किया गया है जिसके परिपालन में उपरोक्त राईस मिलरों की सुनवाई की कार्यवाही प्रचलित है तथा इसके तदुपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकरण में तत्कालीन जिला विपणन अधिकारी को निलंबित किया जाकर विभागीय कार्यवाही प्रचलित है। प्रकरण में संबंधितों के विरूद्ध जिला विपणन अधिकारी गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही द्वारा थाना गौरेला में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

अत: उपरोक्त 04 राईस मिलरों के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा नियमानुकूल कार्यवाही की जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप आम जनता में कोई रोष व्याप्त नहीं है।

डॉ. के.के. ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी उसमें कोई कार्यवाई नहीं हुई है। मैं उसमें माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगा कि उन चारों फर्म पर कार्यवाई होनी चाहिए, यह मेरी मांग है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घटना की जानकारी दिनाँक 19 दिसंबर को प्राप्त हुई और शिकायत प्राप्त होने के बाद 20 दिसंबर को जांच दल गठित कर दिया गया और जांच प्रतिवेदन 28 दिसंबर को मिलने के उपरांत राज्य शासन द्वारा खाद्य विभाग से उनको काली सूची में कस्टम मिलिंग के लिए डाल दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जब से शिकायत हुई है तब से लगातार कार्रवाई किया गया है। आप इसमें और क्या चाहते हैं? यदि आप बतायेंगे तो मैं कुछ करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्वाइंटेड उत्तर। ठीक है, और कुछ? श्री नारायण चंदेल जी।

डॉ. के.के. ध्रुव :- मंत्री जी, कार्रवाई की घोषणा कर दीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- इसमें शिकायत मिलने पर डी.एम. को सस्पेंड कर दिया गया है और एफ.आई.आर. भी दर्ज कर ली गई है। अब बाकी प्रक्रिया थाना में है और इस 29 तारीख को हमने आदेश निकाला कि उसको ब्लैक लिस्ट में किया जाता है, उसका कस्टम मिलिंग उनसे नहीं कराया जाएगा तो उसके विरूद्ध वह हाई कोर्ट चले गये हैं और हमारा 29 जारीख का जो आदेश था, उसके विपरीत हाई कोर्ट से स्थगन दे दिया गया है और उसमें यह निर्देश दिया गया है कि इसमें इनका सुनवाई किया जाए और अभी सुनवाई प्रचलन में है। जैसे ही इसका अंतिम सुनवाई हो जाएगी तो उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. के.के. ध्रुव :- जी, धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। माननीय नारायण चंदेल साहब।

(2) घरघोड़ा अनुभाग अंतर्गत आवंटित कोल ब्लॉक में ग्राम बजमुड़ा के किसानों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजा वितरण में अनियमितता किया जाना

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- अध्यक्ष महोद, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है-:

प्रदेश के घरघोड़ा अनुविभाग अंतर्गत स्थित गारे-पेलमा सेक्टर- 3कोल ब्लॉक सी.एस.पी.डी.सी.एल. को आबंटित किया गया है। आबंटित कोल ब्लॉक में से ग्राम बजमुड़ा की अधिग्रहित 149हेक्टेयर भूमि में से 129हेक्टेयर भूमि को दो फसली बताकर मुआवजा वितरण किया गया है ,जबकि उस क्षेत्र में सिंचाई के संसाधन उपलब्ध नहीं हैं । मुआवजा की गणना अधिक करने हेतु अधिग्रहित भूमि को दो फसली बताया गया है। इसके अतिरिक्त मुआवजा हेतु राजस्व विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा जिस भवन में टाईल्स है ही नहीं वहां पर टाईल्स दिखाया गया है ,जिस भूमि में नर्सरी दिखाया गया है वहां पर नर्सरी गायब हो चुकी है। ऐसे अनेक प्रकरण भी प्रकाश में आये हैं कि परिसंपत्ति अन्य के नाम पर सिर्फ कागजों में दिखाकर मुआवजे की गणना कर दी गई । ग्राम बजमुड़ा के दर्जनों लोगों को टिन शेड ,वृक्ष ,एक फसली के स्थान पर दो फसली दिखाकर अन्य नाम पर अधिक राशि मुआवजा के रूप में वितरण किया गया है। प्रकरण पर राजस्व मंडल के पत्र के आधार पर कलेक्टर ,रायगढ़ द्वारा अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच दल का गठन किया गया एवं जांच दल के अध्यक्ष द्वारा प्रोजेक्ट हेतु हुए भू-अर्जन से संबंधित दस्तावेज घरघोड़ा एसडीएम से मांगे गये। दस्तावेज प्राप्त नहीं होने पर स्मरण पत्र भी प्रेषित किये गये ,किंतु अभी तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। दस्तावेज प्राप्त नहीं होने

के कारण जांच प्रारंभ नहीं हो पायी है। विभाग में व्याप्त अनियमितता के कारण क्षेत्र की जनता एवं जनप्रतिनिधियों में भारी रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- धरघोड़ा अनुविभाग अंतर्गत गारे-पेलमा सेक्टर-3 कोल ब्लॉक सी.एस.पी.डी.सी.एल. को आवंटित किया गया है। आवंटित कोल ब्लॉक, ग्राम-बजरमुड़ा की अधिग्रहीत भूमि 149 हेक्टेयर भूमि में से 129 हेक्टेयर भूमि के भू-अर्जन के मुआवजा वितरण में अनियमितता की शिकायत-पत्र जांच हेतु, राजस्व मंडल छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पत्र क्रमांक/20/निज सचिव/2023 बिलासपुर, दिनांक 23/01/2023 एवं छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-4-02/सात-1/2020 नवा रायपुर, दिनांक 03.02.2023 के माध्यम से कलेक्टर, रायगढ़ को शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर शिकायत का निराकरण करते हुए शासन को अवगत कराने लिखा गया। कलेक्टर, रायगढ़ के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 845/शि.शा./2023 रायगढ़, दिनांक 02.02.2023 के माध्यम से जांच समिति का गठन किया गया है । जांच समिति के एक सदस्य अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा की पदस्थापना में परिवर्तन होने के कारण संशोधित आदेश क्रमांक 1560/शि.शा/2023 रायगढ़ दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से जांच समिति का पुनर्गठन करते हुए 15 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है । समिति को मूल भ-अर्जन प्रकरण प्राप्त हो चुका है एवं जांच समिति द्वारा तत्परतापूर्वक जांच कार्यवाही की जा रही है । अत: यह कहना सही नहीं है कि दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण जांच प्रारंभ नहीं हो पायी है । जांच कार्यवाही प्रारंभ हो जाने से क्षेत्र की जनता एवं जनप्रतिनिधियों में कोई रोष या आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया और पत्रों का उल्लेख भी किया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी तक कितने लोगों को मुआवजा प्राप्त हुआ है और किस दर पर प्राप्त हुआ है ? क्या कुछ लोगों को दोगुना और कुछ लोगों को चार गुना मुआवजा दिया गया है ? यदि हां तो इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया गया है ? माननीय मंत्री जी कृपया यह बता दें ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा जिला रायगढ़ द्वारा दिनांक 22.02.2000 को एवार्ड पारित किया गया है इसमें संशोधित आदेश दिनांक 22.02.2021 को एवार्ड पारित किया गया । इसके विरूद्ध अपील प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर के आदेश दिनांक 28 अगस्त, 2021 के आदेश अनुसार पुन: संशोधित एवार्ड पारित किया गया । कलेक्टर न्यायालय में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कलेक्टर न्यायालय में अपील की गयी और ग्राम बजरमुड़ा के 96 भूमिस्वामियों की कुल खसरा 374, कुल रकबा 170.416 हेक्टेयर 421.1 एकड़ भूमि अर्जित की गयी । एवार्ड में भूमि के प्रतिकर की राशि 149.17 करोड़ रूपये, वृक्षों की

प्रतिकर राशि 75.17 करोड़, परिसंपत्तियों की प्रतिकर राशि 60.24 करोड़ रूपये, कुल राशि 284 करोड़ 57 लाख निर्धारित की गयी। इसमें जांच के लिये कमेटी गठित की गयी है । इसमें जो शिकायत प्राप्त हुई है उसमें जांच की जा रही है और जल्दी जांच करके उसमें कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे मामले में भारी अनियमितता है । सरकार के अधिकारियों के संरक्षण में यह सारा काला कारनामा हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजस्व मंडल में इसके संबंध में किसके द्वारा शिकायत की गयी थी और किन बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल में बजरमुड़ा ग्राम के संबंध में 149 हेक्टेयर भूमि में से 129 हेक्टेयर भूमि को दो फसली बताकर मुआवजा राशि देने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी । राजस्व मंडल के सचिव द्वारा कलेक्टर रायगढ़ को शिकायत पत्र के संबंध में जांच कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 23.01.2023 को ज्ञापन जारी किया गया है और उसके बाद जब घरघोड़ा एस.डी.एम. का ट्रांसफर हुआ तो उसके बाद जांच कमेटी का पुनर्गठन किया गया है और इसमें तीन सदस्य की कमेटी बनायी गयी । जिसमें अपर कलेक्टर रायगढ़, संयुक्त कलेक्टर रायगढ़ एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को शामिल करके संशोधित किया गया ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मंत्री जी, मैं इस प्रकरण पर आपका ध्यान चाहूंगा । यह मामला करीब 200 करोड़ के आसपास का है । जिस एस.डी.एम. का अभी ट्रांसफर हुआ है । अपर कलेक्टर को उस एस.डी.एम. ने जो आवश्यक दस्तावेज मंगवाये थे वह एस.डी.एम. उसको जानबूझकर लंबित करते रहे। उन्होंने उस अपर कलेक्टर को दस्तावेज नहीं सौंपा। उससे जांच प्रभावित हुई। जांच विलंब हुआ। मेरा आपसे निवेदन है। यह गंभीर विषय है। घरघोड़ा ट्राइबल क्षेत्र है। कोल ब्लॉक से संबंधित विषय है। मेरा आग्रह यह है कि आप इसे सदन की कमेटी से जांच करायेंगे क्या?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी उसमें बहुत ज्यादा दिन शिकायत हुए नहीं हुए हैं। जो शिकायत हुई है, उसके पहले उस एस.डी.एम. का ट्रांसफर हो चुका। जैसे ही कमेटी का गठन हुआ और आपकी जांच उसमें लंबित है और बड़ी तेजी के साथ उसकी जांच की जा रही है। उसका ट्रांसफर होते ही पुनर्गठन किया गया, मैंने पहले भी बताया और जल्दी से जल्दी हम लोग उसकी जांच करायेंगे और अगर जांच में कोई गलत पाया जायेगा तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री नारायण चंदेल :- लेकिन, जांच की कोई सीमा होनी चाहिए। मेरा यह आग्रह है। जांच 6 महीने चलेगी, साल भर चलेगी। कलेक्टर उसे आवश्यक निर्देश दे कि 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर जांच की रिपोर्ट आये और इस पूरे खेल में जो दोषी व्यक्ति है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, विधि-सम्मत कार्रवाई हो, यह मेरा आग्रह है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांच करके रिपोर्ट देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, लेकिन इसके साथ-साथ इसमें कुल खसरा 374 है और रकबा 170.416 हेक्टेयर है, माने 421 एकड़ है तो 374 रकबे की बारीकी से जांच करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम जल्दी से जल्दी उसकी जांच करायेंगे।

समय :

1.27 बजे

<u>नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्री कुलदीप जुनेजा
2. श्री अजय चन्द्राकर
3. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
4. श्री सौरभ सिंह

समय :

1.27 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(1.28 से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय :

3.00 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी धन्यवाद्, मैंने सदन में कुछ बोला उसका असर हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय :- खेद व्यक्त कर दीजिए (हंसी) ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन.</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) तथा नियम 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमश: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अवधि हेतु अपने में से नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) तथा नियम 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमश: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अवधि हेतु अपने में से नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये 09 सदस्यों निर्वाचन.</u>

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2023-2024 की अवधि हेतु अपने में से नौ सदस्य, जिसमें से क्रमश: तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2023-2024 की अवधि हेतु अपने में से नौ सदस्य, जिसमें से क्रमश: तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है :- सदन में की जाने वाली घोषणा (शुक्रवार, दिनांक 03, मार्च 2023), उम्मीदवारी के लिए नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना (मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023, अपराह्न 1.00 बजे तक), नामांकन प्रपत्रों की जांच (बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2023 अपराह्न 2.00 बजे तक), उम्मीदवारी से नाम वापसी (गुरूवार, दिनांक 16 मार्च, 2023 अपराह्न 1.00 बजे तक), निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान (सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2023 पूर्वाह्न 4.00 बजे तक समिति कक्ष-2 में) । निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ होनी है। शुक्रवार के अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित हैं। अत: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता श्री मोहन मरकाम जी द्वारा चर्चा प्रारंभ की जाएगी। उसके पश्चात् अशासकीय कार्य लिया जाएगा। पक्ष तथा प्रतिपक्ष के...।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- किस पर व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अजय चंद्राकर :- अभिभाषण पर व्यवस्था का प्रश्न है। आप सुन बस लीजिए, बाकी आपको निर्णय करना है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, सुना दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण की कंडिका 43 में पूरा पढ़ूं की आप पढ़ेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- पढ़ दीजिए न।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरी सरकार आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शासकीय सेवा व व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विधि अनुसार आरक्षण का लाभ देने हेतु कटिबद्ध है। इसी अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 एवं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित किया गया है, जो अभी अनुमति हेतु विचाराधीन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक ऐसी परंपरा नहीं रही है कि गवर्नर हाउस में जो बिजनेस लंबित हों, उसको अभिभाषण में शामिल किया गया हो। ऐसे बहुत सारे विधेयक, राष्ट्रपति भवन में या गवर्नर हाउस में लंबित रहते हैं। इसका कभी उल्लेख नहीं हुआ। यदि केबिनेट ने इसको अनुमोदित किया और माननीय महामहिम से पढ़वाया तो एक धर्मसंकट की भी स्थिति बनती है कि हम उसको धर्मसंकट में डालें। इसका मामला कोर्ट में भी है। इसको अभिभाषण में भी पढ़वा दिया गया। मेरा आपसे पहली व्यवस्था यह है कि विचाराधीन विषय जो गवर्नर हाउस के हैं, क्या वह अभिभाषण में शामिल हो सकते हैं और शामिल हो सकते हैं तो बाकी विषय भी शामिल हो जो लंबित हैं, जो विचाराधीन हैं, वह सरकार की उपलब्धियों में कैसे शामिल हो गये ? इसलिए इनको डिलीट करके 43 कंडिका को छोड़कर बाकी कंडिकाओं पर हम धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करें, यह मेरा आग्रह है या आप इसमें कोई व्यवस्था दे दें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी...।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, उस किताब में उस बात का उल्लेख किया गया है जो पवित्र सदन ने पारित किया है और राज्यपाल महामहिम को भेजा गया है, उसी पत्र का उसमें उल्लेख किया गया है। माननीय साथी बहुत विद्वान हैं। बीच में अनावश्यक छेड़ना सदन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपका भी प्वाईंट ऑफ आर्डर है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसी विषय पर जो माननीय अजय जी ने प्वाईंट ऑफ आर्डर उठाया है। क्योंकि इस विधेयक को सर्व सम्मति से इस विधान सभा ने पारित किया है और पारित होने के बाद जब यह लागू नहीं हुआ है, इसमें हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, बिना राज्यपाल जी के दस्तखत हुए, वह विधेयक पारित नहीं माना जाता है। वह विधेयक अभी तक हमारी प्रापर्टी है। हमारी विधान सभा की प्रापर्टी है। जिस दिन राज्यपाल जी दस्तखत कर देंगे उस दिन विधान सभा में बताया जाएगा कि लंबित विधेयक राज्यपाल जी से दस्तखत होकर प्राप्त हो गया है। यह पारित हो गया है। जो विधान सभा की प्रापर्टी है, उस प्रापर्टी को बिना राज्यपाल के दस्तखत हुए राज्यपाल जी के अभिभाषण में उल्लेख करना, यह संसदीय परंपराओं का, कानून का, संविधान का सबका उल्लंघन है। इसलिए हम आपसे चाहेंगे, क्योंकि यह लेजिसलेशन असेम्बली है। इसलिए आप इस पैराग्राफ को डिलीट कर-कर, उसके बाद में आप चर्चा करवाएं तो संविधान का भी सम्मान होगा। राज्यपाल जी का भी सम्मान होगा, इस विधान सभा का भी

सम्मान होगा और हाऊस का भी सम्मान होगा कि सरकार हमारी प्रॉपर्टी का उल्लेख कैसे कर सकती है? हमारा आपसे इस बात का निवेदन है कि आप इस विषय को डिलीट करवा कर फिर इस पर चर्चा करवाएं।

अध्यक्ष महोदय :- संसदीय कार्यमंत्री जी, क्या आप इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों का प्रतिबिंब होता है। इस प्रदेश की जनता के हितों को संरक्षित करने के लिए, यहां के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए आपने विशेष सत्र बुलाया और हम लोगों ने इस सदन में सर्वसम्मति से आरक्षण के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया, जिसमें आप भी शामिल हैं। (मेजों की थपथपाहट) सर्वसम्मति से पारित किया। हम आपको भी बधाई देते हैं, लेकिन पूरा प्रदेश चिंतित है कि यह कानून लागू क्यों नहीं हो पा रहा है ?

श्री अजय चंद्राकर :- यह विषय नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप यहां बनावटी आंसू बहाते हैं, आप यहां दूसरी बात कहते हैं और आरक्षण...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न व्यवस्था का है। हमने आपसे व्यवस्था के प्रश्न पर बात की है।

अध्यक्ष महोदय :- आप सुनिये न। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, यह तो भाषण देने लग गये।

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था के प्रश्न पर उनकी राय ले सकता हूं। व्यवस्था के प्रश्न पर उनकी राय ले सकता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप सुन तो लीजिए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- यह बनावटी आंसू बहाने वाली बात कहां से आ गई ?

श्री बृहस्पत सिंह :- आप माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की बात सुन तो लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं उनकी बात सुन सकता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप सुनिये तो। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह बताइये कि यह लीगल है या नहीं है ? (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- सुनने का भी तो बात रखिये। आप लोग सिर्फ बोलेंगे, सुनेंगे नहीं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप यह बताइये कि यह संसदीय है या नहीं है ? यह कांस्टिट्यूशन के अनुरूप है या नहीं है ? (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- भाई, यदि आप बोल रहे हैं तो सुन लीजिए न।

अध्यक्ष महोदय :- मैं उनकी राय ले सकता हूं। चलिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय में पूरा सदन चर्चा कर चुका है, सरकार की मंशा है उसको महामहिम के अभिभाषण में उल्लेख करना, मैं समझता हूं कि कोई गलत नहीं है और हम आपसे भी अपील करना चाहते हैं। मेजों की थपथपाहट।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं-नहीं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, माननीय अध्यक्ष जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- प्रदेश के हितों के लिए हम लगातार राजभवन से संपर्क में हैं। हमने इसका उल्लेख केवल इसीलिए किया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया। अब इस पर ज्यादा बात मत कीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपका संकल्प तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में टूट चुका है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन की सामान्य परंपरा यह रही है कि जो विषय न्यायालय में विचाराधीन हो, उस विषय पर सदन में चर्चा नहीं होती परंतु यह तो दो जगहों पर विचाराधीन है। यह महामहिम राज्यपाल के पास भी विचाराधीन है और न्यायालय में भी विचाराधीन है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक मिनट सुन लीजिए, कभी-कभी ऐसे विषय आते हैं। यह कोई लड़ाई-झगड़े का विषय नहीं है। आपने माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद। वह क्यों उपयोगी है और क्यों अनुपयोगी, किसने पास किया, हम इस पर बहस नहीं कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी बहस को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि जो मामला विचाराधीन है उससे महामहिम गवर्नर की अवमानना होगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- जिसके पास विचाराधीन है आप उन्हीं से पढ़वाये हो।

श्री अजय चंद्राकर :- जिसके पास विचाराधीन है उन्हीं से इसको पढ़वाया गया।

श्री बृहस्पत सिंह :- पहले डिसाइड कर लीजिए कि कौन बोलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे मित्र लोग गवर्नर को कैसे सम्मान दे रहे थे। जब गवर्नर साहब अभिभाषण को पढ़ने आये थे तो ये लोग गवर्नर साहब को कैसे सम्मान दे रहे थे, इसको सब लोगों ने देखा है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे विषय जो बिजनेस गवर्नर हाऊस में लंबित हैं, वे कभी भी अभिभाषण में सम्मिलित नहीं हुए हैं। हम इस विषय में बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है। मैंने आपकी बात सुन ली।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गवर्नर के सम्मान की बात कर रहे हैं और जब गवर्नर साहब आये थे उस दिन यह गवर्नर साहब का कैसे सम्मान कर रहे थे, उसको पूरे सदन ने देखा है।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज-प्लीज।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- सम्मान नहीं, अपमान कर रहे थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार प्रयास कर रही है यह अच्छी बात है, सरकार कटिबद्ध है यह भी अच्छी बात है। हमें शुरू की 3 लाइनों में कोई आपत्ति नहीं है परंतु उसके बाद यह सदन...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आगे बढ़ाइये, इन लोगों को ज्ञान ज्यादा अच्छा लग रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये न आप। मुझे इनके विचारों को सुनने दीजिए। चलिये-चलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदन की प्रापर्टी है और दस्तखत होकर प्राप्त नहीं हुई है। सरकार प्रयास कर रही है, वहां तक भी अच्छी बात है। सरकार कटिबद्ध है, वहां तक भी अच्छी बात है परंतु वह राज्यपाल जी के पास लंबित है। वह सदन की प्रापर्टी है और राज्यपाल जी से दस्तखत होकर सदन में आएगी। सदन उसको पढ़कर सुनाएगा और उसके बाद वह लागू होगा। इसके बारे में उल्लेख करना, यह संसदीय परंपराओं के विरूद्ध है और इसलिए हम यह चाहेंगे कि यह छत्तीसगढ़ का यह सदन संसदीय परंपराओं को पुष्ट करता रहा है इसलिए आप इसको डिलीट करके फिर चर्चा करवायें। हमारा आपसे इस बात का निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री मोहन मरकाम।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर आपकी व्यवस्था तो आ जाये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था के प्रश्न में व्यवस्था दे दीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, मैंने मोहन मरकाम जी का नाम लिया है वह भाषण की शुरूआत करेंगे। मोहन मरकाम जी, आप साढ़े 3 बजे तक ही भाषण देंगे, साढ़े 3 बजे के बाद अशासकीय कार्य होंगे।

समय :

3:14 बजे

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

"माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।"

अध्यक्ष महोदय :- अब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री मोहन मरकाम, सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा होगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, आप व्यवस्था दे दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने तो 301 संशोधन प्रस्तुत किया है । उसमें कह लीजिएगा, जिसको छोड़ना है, छोड़ दीजिएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने उस कंडिका में संशोधन नहीं दिया है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, हमारे अभिन्न मित्रों को बहुत ज्यादा बोलने की आदत हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए ।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- ओम माथुर जी आये हैं, इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं ।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है, उसमें मैं अपनी बात कहना चाहता हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप यह बोल दीजिए कि मैं देख लूंगा कि वह संसदीय परम्परा और संविधान के अनुरूप है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं भी देख रहा हूं क्योंकि बहुत कठिन सवाल है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की काम न करने वाली, भ्रष्ट, तानाशाह सरकार को छत्तीसगढ़ की महान जनता ने 2018 के चुनाव में 68 सीटों के साथ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने का मौका मिला । माननीय राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का रोड मैप होता है, सरकार का विजन होता है, सरकार की उपलब्धियों का प्रतिबिम्ब होता है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 दिसम्बर को शपथ ग्रहण करते ही मंत्रालय में जाकर छत्तीसगढ़ के अन्नदाता, छत्तीसगढ़ के लगभग 19 लाख किसानों का लगभग 10 हजार करोड़ रूपए कर्ज माफ करने के लिए पहला दस्तखत किया । कर्ज माफ करने वाली यह माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है । (मेजों की थपथपाहट)

समय :

3:18 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद एक नई परिकल्पना के साथ आगे बढ़ी कि गढ़बो-गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ । हमारी सरकार की सोच है-सेवा, जतन, सरोकार । छत्तीसगढ़ की महान जनता ने 68 सीटों के साथ कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया । सरकार की बड़ी जिम्मेदारी थी कि छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं, उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया और सरकार बनने के 2 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं का ख्याल किया । छत्तीसगढ़ को किसानों का प्रदेश कहा जाता है । कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के अन्नदाता, छत्तीसगढ़ के किसानों की चिन्ता करने वाली सरकार है । किसान, ग्रामीण विकास से जुड़े हुए क्षेत्रों के समन्वित विकास ही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है । आज छत्तीसगढ़ का किसान खुश है, यहां का मजदूर खुश है तो यहां का व्यापार, व्यवसाय भी बूम कर रहा है । छत्तीसगढ़ की अर्थ व्यवस्था किसानों के इर्द-गिर्द घूम रही है । आज हमें लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होती है तो पूरे देश में चर्चा होती है । कभी गुजरात मॉडल की बात होती थी, मगर आज गुजरात मॉडल की बात नहीं होती, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले खेती-किसानी घाटे का काम होता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद खेती-किसानी लाभ का काम हो गया है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की डॉ. रमन सिंह की सरकार रही, उस समय मात्र 16 लाख किसान धान बेचते थे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद 24 लाख किसान यानि साढे चार सालों में 8 लाख ज्यादा किसान धान बेच रहे हैं। वर्ष 2015-16 में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 13 लाख 17 हजार 583 किसान पंजीकृत थे, वहीं वर्ष 2022-23 में 24 लाख 98 हजार किसान पंजीकृत हुए। वहीं वर्ष 2015 में 11 लाख किसान धान बेचे थे, लेकिन हमारी सरकार के शासनकाल में 23 लाख 42 हजार किसानों ने धान बेचा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसानों द्वारा औसत 60 लाख मीट्रिक टन धान बेचते थे, लेकिन हमारी सरकार में वर्ष 2022-23 में किसानों द्वारा 107 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान बेचा गया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मात्र 8,424 हजार करोड रूपया किसानों को भुगतान होता था, वहीं वर्ष 2022-23 में हमारी सरकार ने 22 हजार करोड़ रूपये किसानों के खाते के माध्यम से भुगतान किया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी आर कांग्रेस के शासन में अंतर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अब तक कुल 16,415 करोड़ रूपये इनपुट सब्सिडी राशि सीधा किसानों के खाते में जमा की है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में क्रमश: 18.43 लाख, वर्ष 2020-21 में 20.59 लाख, वर्ष 2021-22 में 23.59 लाख किसानों को क्रमश: 5,627 करोड़, 5,553 और 5,235 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना के तहत 4 लाख 66 हजार किसानों को 326 करोड़ रूपये 75 लाख रूपये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने भुगतान

किया है। देश में गोधन न्याय योजना की चर्चा होती है। देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब जी उत्तरप्रदेश के चुनाव में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है करती कुछ और है। गौ माता के नाम से राजनीति करने वाले गौ माता की सेवा नहीं किए, लेकिन हमारी सरकार ने साढ़े ग्यारह हजार पंचायतों गोठान के माध्यम से गौ-माता की सेवा करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो रूपये किलो में गोबर और 4 रूपये लीटर में गौमूत्र खरीदी करने का किसी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है तो कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने लिया है। 105 लाख क्विंटल गोबर खरीदी कर 211 करोड़ की राशि सीधे गौ-पालको के खाते में हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। आज हमें लगता है कि कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी काम है, उसमें हमारी सरकार काम कर रही है। सुराजी गांव योजना, 'नरवा,गरूवा,घुरवा,बाडी' पर योजना वैज्ञानिक सोच के तहत काम कर रही है। बरसात के पानी को, सतही जल को कैसे रोक सकें, उसके लिए वैज्ञानिक सोच के तहत हमारी सरकार ने योजनाएं बनाई। उसी के तहत 28 हजार चिन्हित नालों में से 12 हजार से अधिक नालों को उपचारित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुल निर्मित वर्मी टंकी से लेकर अन्य 96 हजार गोठानों में वर्मी टैंक बनाये, जिसमें उत्पादित जैविक खाद 28.4 लाख क्विंटल बनाया गया है । हमें लगता है कि आज कहीं न कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार काम कर रही है । उपाध्यक्ष महोदय, राजीव युवा मितान क्लब के आंकड़ों के अनुसार इसकी संख्या 13,269 है, जिसमें 54.40 करोड़ राजीव युवा मितान क्लबों को आवंटित किया है, जिससे सरकार की उपलब्धियों और लोगों में खेल के प्रति युवा क्लब मितान के माध्यम से हम रचनात्मक कार्यों की ओर हमारे युवाओं को कैसे जोड़ सके, अत: राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से हमने जोड़ा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाईल मेडिकल यूनिट की संख्या 120 यूनिटें हैं, जिसमें शिविरों की संख्या 52,892 है, जिसमें 42 लाख छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सीधा-सीधा उसमें लाभ मिला है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत 429 हाट बाजार क्लिनिकों की संख्या 1749 हैं, जहां पर 84 लाख नागरिकों को सीधा-सीधा लाभ मिला है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जनघोषणा पत्र की याद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में वर्ष 2003, वर्ष 2008, वर्ष 2013 के संकल्प पत्र को यदि देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं संकल्प पत्रों में 15 सालों में क्या काम किया है ? भारतीय जनता पार्टी के वर्ष 2003 के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हम जरूरतमंद 12 वीं पास बेरोजगार युवक-युवतियों को 500 रूपया बेरोजगारी भत्ता देंगे । उपाध्यक्ष महोदय, 15 साल सत्ता में रहे हैं, आपने कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया है ? आपने कहा था कि प्रत्येक आदिवासी परिवारों को एक जर्सी गाय देंगे, आपने कितने जर्सी गाय दिये हैं ?

आपने कहा था कि प्रत्येक आदिवासी परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, छत्तीसगढ़ में 80 लाख आदिवासी समाज के लोग हैं । मैं भारतीय जनता पार्टी के कमलगट्टों से पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों को इन्होंने रोजगार देने का काम किया है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है । आप हमेंशा धर्मान्तरण की बात करते हैं, वर्ष 2003 के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इनकी बात है कि धर्मान्तरण रोकने हेतु कड़े कानून बनाये जायेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित रामभक्तों से पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि धर्मान्तरण हो रहे हैं, क्या आप 15 साल तक सोये हुये थे, 15 साल तक कानून बनाने की बात की थी, (मेजों की थपथपाहट) आपने क्या किया....। (व्यवधान)

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- रामभक्तों को तथाकथित नये-नये परिभाषा में प्रोजेक्ट कर रहे हैं मोहन जी । (व्यवधान)

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- पर्दे के पीछे से करते हैं । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि 20 हजार गांवों में हम प्रहरी नियुक्त करेंगे । आपने बनाया क्या, सिर्फ झूठ बोलने की [X X][7] की फैक्टरी के भारतीय जनता पार्टी के लोग

श्री शिवरतन शर्मा :- घोषणा को जरा सुन भी लो ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोग सुन लीजिए ना, आपकी बारी है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- सुनिये बात को, अभी आपका भी नंबर है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ को गुमराह करने का काम करते हैं । इन्होंने वर्ष 2008 में कहा था कि किसानों को 270 रूपये प्रति क्विंटल धान का बोनस देंगे, इन्होंने कहा था कि किसानों को 1,2,3,4,5 हार्स पॉवर का बिजली मुफ्त देंगे, इन्होंने कहा था कि किसानों को 24 घण्टे बिजली मुफ्त देंगे, किसानों को 5 लाख तक ऋण मुफ्त देंगे, यह इनके वर्ष 2013 के संकल्प पत्र में दिया है । नेता प्रतिपक्ष जी, इन्होंने कहा था कि राजनांदगांव से रायपुर तक मेट्रो ट्रेन और मोनो ट्रेन चलायेंगे, क्या आपने मोनो ट्रेन चलायेंगे। नेता प्रतिपक्ष जी क्या आपने मोनो ट्रेन चलायी ? आप 2013 की बात देख लीजिये, आपने कहा कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये देंगे। किसानों का एक-एक दाना धान खरीदी करेंगे, यह आपके 2013 के संकल्प पत्र में है। भारतीय जनता पार्टी की फितरत में, इनकी कथनी और करनी में सिर्फ झूठ बोलना है। ये लोग [X X] की शाखा से निकले हुये लोग हैं। इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है (मेजों की थपथपाहट)। यह इस सदन में भी झूठ बोलते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह [X X] शब्द को विलोपित किया जाये।

---

[7] [X X] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, क्या [X X] देश के नियम से ऊपर है ? मोहन मरकाम जी ने सच बोला है तो सच को क्यों विलोपित करेंगे?

श्री नारायण चंदेल :- उपाध्यक्ष महोदय, यदि इनको [X X] बोलने का इतना शौक है, तो प्रभात शाखा और सायं शाखा में जाये।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने सच बोला है तो विलोपित क्यों ?

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का भाषण जारी रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में 17 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। संशोधन बहुत ही विस्तृत हैं, मैं, पूरे संशोधनों को नहीं पढ़ूंगा, केवल संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के नाम तथा संशोधनों की संख्या को ही पढ़ूंगा। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके ही संशोधन प्रस्तुत हुए माने जायेंगे :-

क्र. सदस्य का नाम	संशोधनों की संख्या
1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष	94
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल	174
3. श्री पुन्नूलाल मोहले	44
4. श्री अजय चन्द्राकर	301
5. श्री धरम लाल कौशिक	138
6. श्री शिवरतन शर्मा	162
7. श्री केशव प्रसाद चंद्रा	32
8. श्री रजनीश कुमार सिंह	67
9. श्री प्रमोद कुमार शर्मा	82

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं अशासकीय कार्य लूंगा। आज की कार्यसूचि के पद क्रमांक-8 में शामिल अशासकीय विधेयक एवं पद क्रमांक 9 के उप पद 2 में शामिल अशासकीय संकल्प को आगामी कार्यदिवस में लिया जायेगा। डॉ. विनय जायसवाल।

(1) यह सदन का मत है कि "पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये।"

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन का मत है कि "पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि "पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये।" माननीय मंत्री जी।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हमारे बहुत से जनप्रतिनिधि मांग करते रहते हैं कि पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाये। इसमें कई बार लिखा-पढ़ी भी हुई है। मैं इसमें चाहता हूं कि इस संकल्प को संसोधन सहित अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार को भेजा जाये।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको संसोधित करते हुए यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये।"

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये। इसके लिये हम केन्द्र से अनुरोध करते हैं क्योंकि पनिका जाति के लोग अत्यंत गरीब लोग हैं। इसके साथ ही उनका जो रहन-सहन है, छट्ठी-बरही का कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति से मिलता जुलता है। इसलिए हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हैं। मैं इसमें समर्थन के लिये खड़ी हुई हूं।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार को पूर्व में भी प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अत: पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए क्योंकि उनके रहन-सहन, उनकी दशा एवं उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि उसे केन्द्र भेजा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री केशव प्रसाद चंद्रा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य डॉ. विनय जायसवाल जी के द्वारा अशासकीय संकल्प लाया गया है, "पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये।" मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह जाति गरीब है और आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसलिए इनको आवश्यकता है और इनकी बाकी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, वह भी अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते हैं। अगर इनको अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल कर लिया जाए तो निश्चित रूप से इनके आर्थिक, शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि "पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये।"

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें संशोधन किया है कि "पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन से यह अनुरोध करता हूँ कि "पनिका जाति को ...।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया।

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) जिला-जांजगीर-चांपा के जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि सदन का यह मत है कि "जिला-जांजगीर-चांपा के जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाये।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला-जांजगीर-चांपा प्रदेश का एक प्रमुख जिला है और यह जो जिला है वह अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य जिला है। प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या के घनत्व वाला जिला है। जांजगीर के आसपास मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। यह जिला सबसे ज्यादा सिंचित रकबा वाला जिला है और यह जिला सबसे ज्यादा पावर प्लांट वाला जिला है। यहां पर उद्योग भी है और खेती किसानी भी है, पॉवर हब भी है और सिंचाई के संसाधन भी उपलब्ध हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको चिकित्सा की छोटी-छोटी बातों के लिए बिलासपुर, रायपुर जाना पड़ता है। वहां का जो मजदूर, किसान, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं कई बार चिकित्सा के अभाव में असमय काल के गाल में समा जाते हैं। यहां सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। 2 साल पहले 5 जनवरी, 2021 को मुख्यमंत्री जी स्वयं पब्लिक मीटिंग में जांजगीर के हाईस्कूल मैदान में जांजगीर में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। उन्होंने जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की थी, किन्तु 2 वर्ष पश्चात् भी शासन की ओर से अभी तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज हेतु जिला मुख्यालय जांजगीर में जमीन तक चिन्हित नहीं की है और न ही मेडिकल कॉलेज हेतु मेडिकल कौंसिल को प्रस्ताव भेजा गया है । मेरा छत्तीसगढ़ की सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि भारत सरकार को जो भेजने की

प्रक्रिया है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। मेडिकल कौंसिल को प्रस्ताव भेजें और अतिशीघ्र वह प्रक्रिया को पूरा करके जांजगीर-चांपा जिले का जो जिला मुख्यालय जांजगीर है, वहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। सक्ती जिला, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला भी उससे लाभान्वित होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि प्रदेश की एकमात्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा है। भारत सरकार की भी यह पालिसी है कि हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज हो। राज्य सरकार ने भी यह कहा था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। लेकिन आज तक जांजगीर-चांपा जिला मेडिकल कॉलेज से वंचित है। अत: इसे स्वीकार करके जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया पूरी करके मेडिकल कॉलेज खोलें ताकि वहां के लोगों को चिकित्सा का लाभ मिल सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि " जिला जांजगीर-चांपा के जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाये।" श्री शैलेश पांडे।

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी द्वारा जिला जांजगीर-चांपा के जिला मुखयालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया है। यह बहुत अच्छा विषय है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार आई, उस वक्त स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये हम सब जानते हैं। इसके साथ-साथ विश्व की इतनी बड़ी महामारी कोरोना का सामना हम सबने, हमारे प्रदेश ने भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदर्शिता है, उसके कारण हमारे प्रदेश में पहले 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे जिसमें से 3 मेडिकल कॉलेज अप्रारंभ थे। उन 3 अप्रारंभ मेडिकल कॉलेज को भी प्रारंभ करना और उसके साथ-साथ और 04 मेडिकल कॉलेज स्थापित करना, लगभग 07 मेडिकल कॉलेज स्थापित किये गये। उनको मान्यता दिलाई गई और उनके लिए पूरा फंड दिया गया। अगर यह काम किसी ने किया है तो हमारी माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने ही किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी उपस्थित नहीं हैं, उम्मीद करता हूं कि वह शीघ्र आयेंगे। लेकिन मैं इस बात को नारायण चंदेल भैया से जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले से ही बहुत गंभीर है। छात्र-छात्राओं के भविष्य को लेकर, मेडिकल क्षेत्र में मानव संसाधन की जो कमी है। पहले हमारे पास डॉक्टर के केवल 800 पद स्वीकृत थे, आज हमारी सरकार ने डॉक्टर के 600 और पद स्वीकृत किये हैं। लगभग 1400 पदों की भर्ती अगर किसी ने की है जो पहले कभी नहीं हुई, वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने की है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति, छत्तीसगढ़ के युवाओं के प्रति स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन को बढ़ाने के प्रति पहले से ही गंभीर है। इसलिए मैं आदरणीय सदस्य महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर जांजगीर-चांपा में मेडिकल कॉलेज खोलने की

घोषणा की ही है तो संकल्प लाने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वह संकल्प को वापस लें। क्योंकि सरकार इस काम को वैसे ही कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री पुननूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य माननीय नारायण चंदेल जी ने जिला जांजगीर-चांपा के जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु अशासकीय संकल्प लाया है। मैं उस अशासकीय संकल्प का समर्थन करता हूं। क्योंकि जांजगीर जिला अनुसूचित जाति बाहुल्य है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की आरक्षित सीट भी है। केन्द्र सरकार की भी मंशा है कि जहां अनुसूचित जाति के बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहां गरीबी है और अधिकतर बीमार लोग रहते हैं। उनमें किडनी, कैन्सर, हार्ट अटैक व अनेक प्रकार की बीमारी जोकि उनको जांच कराने में बहुत तकलीफ होती है और उनको रायपुर जाना पड़ता है। बिलासपुर में तो कम बीमारी की ईलाज होती है। ऐसे परिस्थिति को देखते हुए आवश्यक है कि जिला जांजगीर-चांपा के जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। इसका मैं समर्थन करता हूं और हमारे नारायण चंदेल जी ने यह प्रस्ताव लाया, उसके लिए मैं उनको बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा ही कर चुके हैं तो वे इसमें भी अपना अभिमत देंगे और मेडिकल कॉलेज खोलने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री बृजमोहन अग्रवाल साहब।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर (दक्षिण)) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने जांजगीर-चांपा जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लाया है। केन्द्र की सरकार की नीति है कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी है। केन्द्र की सरकार ने तीन मेडिकल कॉलेजों के लिए 270 करोड़ रूपये भेज दी है। इसमें 40 प्रतिशत पैसा राज्य की सरकार को देनी है। उन तीन मेडिकल कॉलेजों का अभी तक पी.एम.सी. घोषित नहीं हुई है, उसका टेण्डर नहीं हुआ है। जांजगीर-चांपा जिला एक ऐसा जिला है जो सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देता है। जो जिला जी.एस.टी. के रूप में, माइनिंग के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में और जहां पर अनुसूचित जाति की बाहुल्यता है। ऐसे क्षेत्र में, क्योंकि यह सरकार गंभीर नहीं है और जब मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि वहां पर मेडिकल कॉलेज खोली जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में यह घोषणा की है तो फिर सर्वसम्मति से इस संकल्प को पारित करने में क्या दिक्कत है? सर्वसम्मति से इस संकल्प को पारित करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति केन्द्र सरकार देगी। राज्य सरकार को अपना शेयर देना है। यदि राज्य सरकार अपना शेयर देने के लिए तैयार हो जाएगी और केन्द्र सरकार की नीति है कि हर संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खुलनी चाहिए तो जांजगीर-चांपा संसदीय क्षेत्र में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है और इसलिए इस मेडिकल कॉलेज को खोलने के प्रस्ताव को

सर्वसम्मति से पारित करें। वहां पर industries हैं। industries में एक्सीडेंट होते हैं। वहां पर पावर प्लांट है, वहां पर माइन्स हैं। वहां पर एक्सीडेंट होते हैं, वहां पर बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। मजदूरों की, गरीबों की जान नहीं बचाई जा सकती है और इसलिए वहां पर मेडिकल कॉलेज खुलना नितांत आवश्यक है। इसलिए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करें तो इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री केशव प्रसाद चंद्रा जी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी के द्वारा लाया गया अशासकीय संकल्प का मैं समर्थन करता हूं। पूर्व में जांजगीर-चांपा जिला हमारा जिला था। भले ही अब अलग होकर सक्ती जिला बना है, उसमें हम चले गये हैं और हम सब लोगों की मांग और मंशा भी रही है कि वहां मेडिकल कॉलेज खुले। माननीय मुख्यमंत्री जी जब जांजगीर गये थे तो सार्वजनिक मंच से भी हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि जिला जांजगीर-चांपा में मेडिकल कॉलेज खुले और वहां पर उन्होंने अपने भाषण में आश्वस्त भी किया था कि अगला मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो जांजगीर-चांपा जिला में खुलेगा। जांजगीर-चांपा कृषि प्रधान जिला है। वहां अनुसूचित जाति की बहुलता है और वह माइनिंग से जुड़ा हुआ जिला है, जहां पर डोलोमाईट का सबसे ज्यादा खनन होता है। कोई सुविधा नहीं होने के कारण वहां के लोग रायपुर या बिलासपुर में आश्रित रहते हैं। मेडिकल कॉलेज खुल जाने से निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। मैं पूरे सदन के सभी सम्माननीय साथियों से, आदरणीय शैलेश पांडे जी ने कहा कि आप अशासकीय संकल्प वापिस ले लें। यदि सरकार की वहां पर मेडिकल कॉलेज खोलने की मंशा ही है तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि सर्वसम्मति से इस संकल्प को पारित किया जाए और मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी (मस्तुरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय नारायण चंदेल जी द्वारा जो अशासकीय संकल्प लाया गया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास है। दूसरी चीज यह है कि उनका जो जांजगीर जिला है, वह अनुसूचित जाति का प्रधान जिला है और ऐसे शेड्यूल्ड एरिया में हमको ऐसे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिये एक अच्छा निर्णय है तो मुझे यही कहना है कि आज जिन सदस्यों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है, सरकार की भी मंशा है तो हम सभी इस अशासकीय संकल्प का समर्थन करते हैं और सर्वसम्मति से हम सब लोग एक-साथ इसका समर्थन करें और सर्वसम्मति से इसका समर्थन हो सके और वहां मेडिकल कॉलेज खुल सके । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री जी भी आ गये हैं । उस समय अनुपस्थित थे । मुख्यमंत्री जी भी हैं । मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है कि इसको सर्वसम्मति से पारित करें ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा चूंकि नारायण चंदेल जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं । चूंकि यह एक डवलपमेंटल वर्क है, सरकार इसके प्रति संकल्पित है, कटिबद्ध है कि वह विकास कर रही है, मेडिकल कॉलेज खोल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर किसी बात को कहते हैं तो वे उस बात को पूरा करते हैं, वह संकल्प है और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि भूपेश बघेल जी हैं तो हमें भरोसा रखना चाहिए । (मेजों की थपथपाहट) और वास्तव में खुलेगा । माननीय नारायण चंदेल जी की जो बात है, जो उनकी मांग है और मुख्यमंत्री जी की अगर घोषणा है तो मैं समझता हूं कि इसको पूरा किया ही जायेगा, हमारे माननीय सदस्य जो हैं, वह उसको मन में न लें ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम क्षमा कि मैं विलंब से पहुंचा । मैं माननीय नारायण चंदेल जी और सदन से भी क्षमाप्रार्थी हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, वक्तव्य में भी स्पष्ट उल्लेखित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 05.01.2021 को जांजगीर प्रवास के दौरान जांजगीर-चांपा में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गयी है । कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा के पत्र क्रमांक-13367 दिनांक 09.11.2022 द्वारा ग्राम कुटरा में 125 एकड़ भूमि को मेडिकल कॉलेज भवन हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसके परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मापदंड अनुरूप भूमि के चयन हेतु विषय विशेषज्ञों का गठन किया गया । समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 19.12.2022 में उक्त भूमि को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मापदंडों के अनुरूप पाया तदोपरांत चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 20.02.2023 द्वारा कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा को ग्राम कुटरा में मेडिकल कॉलेज हेतु उपलब्ध 125 एकड़ भूमि को संचालनालय चिकित्सा शिक्षा रायपुर, छत्तीसगढ़ को शीघ्र हस्तांतरित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । अत: जांजगीर-चांपा में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल कहा नहीं, उन्होंने घोषणा की और सरकार की जो मंशा थी और जो सोच थी वह यही थी कि हांलाकि यूपीए सरकार के समय प्लानिंग कमीशन के माध्यम से सैद्धांतिक यह निर्णय लिया गया था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे । हम उस लक्ष्य से अभी दूर हैं, देश में भी अभी हम उससे दूर हैं । यहां हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुले इस विचार को लेकर सरकार चल रही थी, विभाग चल रहा था और वहीं यह तय हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने चांपा-जांजगीर के लिये यह घोषणा की थी और दुर्ग का भी मेडिकल कॉलेज अधिग्रहित कर लिया गया है उस स्थिति में इन ग्यारहवों लोकसभा

क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज होगा तो नये संकल्प की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं है, मैं निवेदन करूंगा कि इसे वापस ले लें क्योंकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा है वह होगा ही, वह होना ही है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है कि मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं । सारा प्रक्रियाधीन है, होना है ही, केवल पहले नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं कि ऐसा लाकर मैं अपना क्रेडिट ले लूं और कोई बात नहीं है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संकल्प पारित करने में दिक्कत क्या है ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है । जब आप भी बता रहे हैं कि प्रक्रियाधीन है, आपने अपने वक्तव्य में बताया कि प्रक्रियाधीन है । आपने सारी चीजों का हवाला दिया है तो इसमें दिक्कत क्या है ? मेरा फिर से पूरे सदन से आग्रह है कि जांजगीर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाये, इस अशासकीय संकल्प को सर्वसम्मति से सदन पारित करे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, बात सिर्फ यह है कि मुख्यमंत्री जी काम तो कर ही रहे हैं और कर ही देंगे, लेकिन वर्ष 2023 के नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं कि इसका लाभ उठा लें, इसीलिए ये क्रेडिट लेना चाहते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब कर ही देंगे तो धरने में क्यों बैठते हो?

श्री बृहस्पत सिंह :- ऑलरेडी जिस काम का यह सरकार कर रही है, जिस काम को सरकार आज भी कर रही है, सुनो साहब, जिस काम को सरकार आज भी कर रही है, उसमें अपना नाम जबर्दस्ती लिखवाने की जरूरत क्या है?

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे, जब मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो धरने में क्यों बैठते हो? दंगा करने वाला एस.पी. हट गया क्या, यह बताओ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने जवाब दे दिया। आप शांत रहिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- दूसरी बात को बंद करो और दंगा करने वाला एस.पी. हट गया क्या? यह बताओ।

श्री बृहस्पत सिंह :- हमारे माननीय मंत्री जी ने भी सदन में जानकारी दे दी है कि मुख्यमंत्री जी ने राज्य में घोषणा की है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह एस.पी. हट गया क्या? यह बताओ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में घोषणा की है और माननीय मंत्री जी ने सदन को जानकारी दी है कि यह प्रक्रियाधीन है तो आप उसमें पट्टी में जबर्दस्ती अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। आप वर्ष 2023 में यह दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने संकल्प पारित करके हॉस्पीटल खुलवाया।

श्री अजय चन्द्राकर :- एस.पी. हट गया क्या? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, बैठ जाइए। चन्द्राकर जी बैठ जाइए। पुन्नूलाल मोहले जी बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आप सिर्फ इसके लिए करना चाहते हैं। सरकार तो काम कर रही है। वर्ष 2023 में जनता के बीच में इस बात का अफवाह उड़ाना चाहते हैं कि सरकार नहीं कर रही थी, हमने करवाया, आप यह कहना चाह रहे हैं। इसलिए यह संकल्प वापस लिया जाये। बहुत विद्वान साथी हैं। सरकार काम कर रही है। सरकार को काम करने दिया जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री बन जा। वापस लेजा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि "जिला-जांजगीर-चांपा के जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाये।"

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, हम विपक्ष की ओर से आग्रह करते हैं कि उस दंगा करने वाले एस.पी. को आप हटा दीजिए। वे बोल रहे हैं कि सब काम करते हैं।

जो माननीय सदस्य संकल्प के पक्ष में हो, वे कृपया हां कहें।

जो माननीय सदस्य संकल्प के पक्ष में ना हो, वे कृपया ना कहें।

श्री नारायण चंदेल :- डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन। संदेश जायेगा न।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मेरा सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध है कि कोई नई बात होती तो संकल्प स्वीकार्य होता। ये तो हो ही गया है। कोई आज इसमें विचार करना चालू करना पड़ता, नए तरीके से कुछ करना पड़ता..। (व्यवधान)

श्री कृष्णमूर्ति बांधी :- मंत्री जी, बहुत ही अच्छा संकल्प है। आप इसमें केवल हां कह दीजिए, खत्म। आपके विभाग का विस्तार होगा। (व्यवधान)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- वह तो हो ही रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब इसमें कह ही चुके हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन की गरिमा बढ़ती है। आप यह बोल दें प्रक्रिया में है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- गरिमा बढ़ाना है तो संकल्प वापस ले लीजिए। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- डिवीजन।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- डिवीजन-डिवीजन। करना ही नहीं चाहते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में इस बात को कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। जमीन का चयन हो रहा है तो इस सदन में सर्वसम्मति से संकल्प पारित करने में सदन की गरिमा बढ़ती है और सदन की गरिमा को बढ़ाने के

लिए इसमें केवल जिद नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष भी सदन के सदस्य हैं। नेता जी भी सदन के सदस्य हैं। वे नेता हैं तो ये नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर इससे सदन की गरिमा बढ़ती है..।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ अपना नाम लिखवाने के लिए जिद की बात नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं, यह मंत्री जी सारे सदन में जानकारी दे चुके हैं। प्रक्रियाधीन है। जमीन दी जा चुकी है। सिर्फ जबर्दस्ती अपना नाम लिखवाने के लिए ऐसा करना उचित नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी तो आपको जान भी मरवा रहे हैं। कब तक आप उन्हें जान से मरवा रहे हैं? आपने जान से मारने की धमकी दी है न। आप कब तक जान से मरवा देंगे?

श्री शिवरतन शर्मा :- सदन में चर्चा होनी चाहिए।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- आप बहुत मीठा-मीठा बात करते हैं भैय्या। हम लोग करेंगे तो।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब आप सब काम कर रहे हो तो आप जल्दी जान से मरवाओ। (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है, जान से मरवाने की नहीं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आप विषय से विषयांतर मत करिए। आप बहुत विद्वान हैं। विषय से विषयांतर मत करिए। सदन को गुमराह मत करिए। सरकार जो काम कर रही है, करने दीजिए। अड़ंगेबाजी मत करिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब सब काम कर रहे हो तो पूरी तरह जान से मरवाओ। (व्यवधान)

श्री कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हम तो सब लोग स्वीकार कर रही रहे हैं। सभी लोगों की इच्छा है। सेवा के क्षेत्र में विस्तार होगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी की इच्छा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मंत्री जी का वक्तव्य सुना है।

उपाध्यक्ष महोदय :- जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जी। और मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। जमीन का चयन हो रहा है। तो फिर आपका निर्देश होना चाहिए कि आप इस संकल्प को सर्वसम्मति पारित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- अभी उनका यह कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं-नहीं, जब ये बोल रहे हैं कि इसकी जरूरत है। हम भी सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- जब माननीय मंत्री जी ने जमीन का उल्लेख कर दिया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने साफ-साफ बोल दिया है। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है। भविष्य में उसे बनाया जायेगा। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी ने घोषणा का उल्लेख कर दिया है तो उसके आगे क्या बचा है साहब, आप यह बता दो। उसके आगे क्या बचा है? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर देते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, यह अनुसूचित जाति का क्षेत्र है, यह कृषि का क्षेत्र है, यह किसानों का क्षेत्र है...(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- इसीलिए, अनुसूचित जाति का क्षेत्र है इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है । (व्यवधान)

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, सदन में अन्य दलों के कुछ विधायकों को इनके बड़े नेताओं के द्वारा डांट पड़ती है इसलिए ये लोग कुछ भी प्रस्ताव लाते रहते हैं । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार होना चाहिए, इस बात से पूरा सदन सहमत है । जब छत्तीसगढ़ बना तो हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज था । फिर जोगी जी आए बिलासपुर में दूसरा मेडिकल कॉलेज बना, फिर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 4 मेडिकल कॉलेज खुले । हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कांकेर, कोरबा, महासमुंद और दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहित किया । उस समय यह बात आई थी जांजगीर एक ऐसा लोक सभा क्षेत्र बच जाता है, जिसमें एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है । उस समय मंच में हमारे विधान सभा के अध्यक्ष माननीय डॉ. चरणदास महंत जी भी उपस्थित थे, केशव चंद्रा जी भी उपस्थित थे, सभी साथी उपस्थित थे हालांकि उसमें नारायण चंदेल जी नहीं आए थे । सब लोगों ने मांग की और मैंने मंच से घोषणा की थी कि जब भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो जांजगीर में खुलेगा (मेजो की थपथपाहट) और उसके तहत् हमने प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी । अब एक-दो दिन की बात है । इस संकल्प को वैसे भी सदन में लाने की आवश्यकता नहीं थी । लेकिन भी माननीय नेता प्रतिपक्ष ले आए

हैं, यह जानते हुए भी कि सारी प्रक्रिया हो चुकी है और इसकी स्थापना होना ही है फिर भी । सभी सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं नेताजी से तो चाहूंगा कि वे इसे वापस ले लेते, लेकिन सभी सदस्य थोड़ा अड़े हुए हैं इसलिए इसे पारित हो जाना चाहिए । यह बनेगा (मेजो की थपथपाहट)

श्री नारायण चंदेल :- मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद् ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इससे सदन की गरिमा बढ़ी है इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि जिला जांजगीर-चांपा के जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए ।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 04 मार्च, 2023 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित् ।

(04 बजकर 03 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 04 मार्च, 2023 (फाल्गुन 13, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 03 मार्च, 2023

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं